

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176247

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 330954 Accession No. PG H859
K96 H

Author कुमारपान जे.सी.

Title हिन्दुस्तान और ब्रिटेनका आर्थिक
रिश्ते 1948.

This book should be returned on or before the date
last marked below.

हिन्दुस्तान और ब्रिटेनका आर्थिक लेन-देन

लेखक **मिश्रित**
जे. सी. कुमारप्पा



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

पहली आवृत्ति, प्रति ३०००

नाम

लॉर्ड क्लाउविको आम तौरपर भारतमें अंग्रेज़ी राजकी नींव डालनेवाला माना जाता है ।

बचपनमें रॉबर्ट क्लाउविक (१७२५-१७७४) से उसके शिक्षक बड़े दुःखी और निराश रहते थे । वह १८ सालकी उम्रमें अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी नौकरीमें 'लेखक'के कामपर आया था । ३५ वर्षकी आयुमें जब वह अिग्लैण्ड लौटा, तब उसके पास ३ लाख पौण्डकी सम्पत्ति जमा हो गयी थी और उसे अपनी माफ़ी (जागीर)से २७ हज़ार पौण्ड सालानाकी खालिस आमदनी थी । सरकारी अर्थ-नीति और अीमानदारीके जो असूल अिस लुटेरे राजनीतिज्ञने अपने समयमें चलाये थे, वे आज तक भारत सरकारकी अर्थ-नीतिका मुख्य अंग बने हुअे हैं ।

अिस सदीके शुरूमें ही ब्रिटेनकी अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू अर्थ-नीति पर लॉर्ड केनीज़का ज़रूरतसे ब्यादा असर पड़ा है ।

ब्रिटेनकी सन्धियों, हजनिके दावों और लड़ाअीके ज़मानेके क़र्ज़ोंके लेन-देनमें जॉन मैनार्ड केनीज़ (१८८४-१९४६) का भारी हाथ रहा है । वही ब्रिटेनकी सुरक्षित सम्पत्तिका मूल्य गिरा देनेवाली नीतिके लिअे ज़िम्मेदार है । ब्रेटन वुड्स कान्फरेन्सका संचालन भी अुसीकी देखरेखमें हुआ था । ब्रिटेन और भारतसे सम्बन्ध रखनेवाली अर्थ-नीति पर अुसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है । यह असर लगभग ३४ साल पहले ' हिन्दुस्तानका सिक्का और अर्थ-नीति ' (अिण्डियन करेन्सी अॅण्ड फाअिनेन्स) नामकी अुसकी किताबसे शुरू हुआ था ।

अिस नीतिके चलानेवालोंमें लॉर्ड क्लाउविकका नाम सबसे पहले आता है । हमें आशा करनी चाहिये कि लॉर्ड केनीज़के बाद यह परम्परा टूट जायगी ।

दो शब्द

जब कोअी आदमी दूसरेके मालसे फ़ायदा अुठाना चाहता है और ऐसी सम्पत्तिपर, जो उसकी नहीं हो, बुरी नज़र डालता है, तो वह कभी तरक़ीबोंसे काम लेता है । जैसी उसकी परिस्थिति होती है, वैसी ही उसकी युक्ति होती है । (१) सबसे सीधा तरीक़ा धौंसका है । अिसके ज़रिये अपनी शिकारको भयभीत करके उससे धन छीन लिया जाता है । (२) दूसरा अुपाय ग़बन है । अिसके ज़रिये मनुष्य दूसरेकी दी हुआ अमानतमें ख़यानत करता है । (३) अक्सर रोकड़िये लोग झूठे हिसाब बनाते हैं यानी खर्चको पूँजीमें दिखाकर या रोज़मर्राके खर्चको लम्बी मियादके खर्चोंमें बताकर जो रक़में अुठा ली जाती हैं या ग़लत तौरपर काममें ली जाती हैं, वे मालिककी छानबीनसे परे रखी जाती हैं । (४) अिसके सिवाय, नौकर अपने मालिकके क़ीमती सामानको लेकर कौड़ियोंमें गिरवी रख देता है; या (५) संरक्षक धरोहरकी सम्पत्तिको अपने काममें लेकर उसका दुरुपयोग करता है । निजी सम्पत्तिके अितिहासमें दुष्टोंने जो जो आर्थिक अपराध किये हैं, अुनमेंसे कुछ नमूने ये हैं ।

अंग्रेज़ोंका हिन्दुस्तानसे जो सम्बन्ध रहा है, उससे ज़ाहिर होता है कि अिन सब क्रिस्मकी बेअीमानियोंसे काम लेकर पूरा फ़ायदा अुठाय़ा गया है और अिनके अलावा अिन लोगोंने कुछ नये हथकण्डे भी निकाले हैं ।

विलायतसे अेक मण्डली हिन्दुस्तान आ रही है । ये लोग भारत सरकार और रिज़र्व बैंकके नुमाअिन्दोंसे हिन्दुस्तानके पौण्ड पावनेके बारेमें 'बातचीत' करेंगे । अिस मण्डलीके मुखिया हैं ब्रिटिश खज़ानेके दूसरे मन्त्री सर विलफ़्रिड अीडी और अुनके साथ बैंक ऑफ़ अंग्लैण्डके डिप्टी गवर्नर मि० सी० अेफ० कबोल्ड, भारत मन्त्रीके दफ़्तरके अर्थ-

विभागके मुखिया मि० के० ओण्डर्सन और बैंक ऑफ इंग्लैण्डके अेक्सचेंज कण्ट्रोल विभागके मि० पी० अेस० वील हैं ।

यह बता दें कि जिस पौण्ड पावने पर अिस मण्डलीका अिस वक्रत ध्यान लगा हुआ है, वह कभी अैसी अलग अलग रकमोंके बाद बाक्री निकला है, जो अंग्रेज़ी अधिकारके बादसे हमारे नाम लिखी गयी हैं, और कभी रकमें हमारे खातेमें जमा हुआ हैं ।

अिसलिअे ग्रेट ब्रिटेन और हिन्दुस्तानके बीच जो आर्थिक लेन-देन हुआ है, अुसके अितिहासकी भूमिकापर अेक नज़र डाल लेना दिलचस्पीसे खाली न होगा । अिससे पता लगेगा कि ' इंग्लैण्डके शानदार महल ' हिन्दुस्तानकी हड्डियोंसे बने हैं ।

१५ फरवरी, १९४७

मगनवाड़ी
वर्धा (मध्यप्रान्त)

जे० सी० कुमारप्पा

विषय-सूची

	पृष्ठ
नाम	३
दो शब्द	४-५
१. भूमिका	७-१२
निजी अर्थ-व्यवहार, आधार आदमनी ७; सरकारी अर्थ-व्यवहार, आधार खर्च ८; उत्पादक और अनुत्पादक ऋण ८; बजट, कर्ज ९; राष्ट्रीय ऋण १०; सरकारी ऋण १०; नियंत्रण ११	
२. अीस्ट अिण्डिया कम्पनी	१२-१४
धौसका ज़माना १२; ग़बनका ज़माना १३	
३. विक्टोरियाका युग	१४-३०
झूठे हिसाब बनाना १४; अफगान युद्ध १७; अीरानी युद्ध १८; ग़दर १९; अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजी और असका मुनाफ़ा २०; ताज़की मातहतीमें २०; अेबीसिनिया, मिश्र, बर्मा, सूक़िम वगैराकी बाहरी लड़ाअियाँ २१; फुटकर खर्च २५; सालाना फौजी खर्च २६; झूठे कर्ज़की रकमोंपर दिया गया व्याज २९	
४. मौज़्दा ज़माना	३०-३३
'दान'की युक्ति ३०; दुरुपयोग ३२	
५. गिरवी रखकर कर्ज़ देनेका ज़माना	३३-४०
कागज़ी कर्ज़ ३३; यू. किं. क. का. के कारनामे ३५; पौण्डके कागज़की बेसलामती ३६; क्रयशक्तिकी पायेदारी ३७; ग़बन ३९	
६. अुपसंहार	४०-४८
कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट ४०; और लीजिये ४१; सरकारी ऋणोंपर गांधीजीका बयान ४५; चुकानेकी शक्ति ४६; जाँच पड़तालकी झरूरत ४७	

भूमिका

खानगी अर्थ-व्यवहारमें व्यक्तिसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपनी आमदनीके भीतर रहकर खर्च करेगा। वह आमदनी उसे अपने आर्थिक कामकाजसे होती है। मामूली तौरपर उसका खर्च उतना ही होता है, जितनी उसकी कमानेकी शक्ति होती है। आम तौरपर अगर वह कमाओसे ज्यादा खर्च करनेके लिये कर्ज़ करता है, तो अन्तमें उसे अदालतमें जाकर दीवालियेकी दरखास्त देनी पड़ती है। अगर वह आमदनीसे कम खर्च करता है, तो उसकी खरीदनेकी ताकत बढ़ती रहती है। इसीको हम पूँजी कहते हैं। उसे वह बचाकर भी रख सकता है और ज्यादा पैदावारके लिये अधार भी दे सकता है। दोनों ही सूरतोंमें जहाँ आमदनी और खर्च बिलकुल बराबर नहीं होते, कर्ज़ होता है। अधार लेना होता है तब वह ऋण कहलाता है और देना होता है तब कर्ज़ कहलाता है। हम देखते हैं कि खानगी अर्थ-व्यवहारमें आमदनीके अनुसार ही खर्च और कर्ज़ तय होता है।

दूसरी तरफ़ सरकारी अर्थ-व्यवहारमें यानी राज्यके माली अन्तःज्ञाममें, एक हद तक फ़ैसला करनेवाली चीज़ आमदनी नहीं, खर्च होता है। यानी अगर हम यह अितमीनान करना चाहें कि सरकारी कर्ज़ वाजिब तौरपर लिया गया है, तो हमें खर्चकी अलग अलग मदोंकी जाँच-पड़ताल करके देखना होगा कि हरएक मद देशकी आमदनीपर ठीक ठीक डाली गयी है या नहीं और कोई फ़ज़ूलखर्ची तो नहीं की गयी है। फिर हमें यह जाँच करनी होगी कि नागरिकोंकी कितना कर देनेकी ताकत है और देखना होगा कि ज़रूरी रुपया महसूल लगाकर वसूल हो सकता

है या नहीं। जितनी छानबीनके बाद हमें मालूम हो कि खर्चकी सारी रकमें देशकी भलाभीमें लगी हैं और वाजिब तौरपर लग सकती हैं और अगर नागरिक अब और कर नहीं दे सकते, तब ऐसे हालातमें कर्ज लेना बिलकुल मुनासिब होगा।

खानगी व्यक्ति ऐसा नहीं करता, मगर राज्य पहले यह निश्चय करता है कि राजकाजके लिये और राष्ट्र-निर्माणके कार्यक्रमके लिये साल-भरमें कितना खर्च करना पड़ेगा, फिर वह आवश्यक रूपया जबरदस्ती वसूल करता है। इसके लिये नागरिकोंको हुक्म दिया जाता है कि वे करके रूपमें राज्यको चलानेके लिये रूपया दें। जिस तरह सरकारी अर्थ-व्यवहारमें खर्च चलानेके लिये आमदनी या लगान पैदा किया जाता है।

हमेशा यह सम्भव नहीं होता कि आमदनीसे ही खर्च चल जाय। अक्सर राज्यको ऐसे खर्च करने पड़ते हैं, जिनका फ़ायदा जनताको बरसों बाद होता है। ऐसी हालतमें ज़ाहिर है कि आजके नागरिकोंसे यह कहना न्याय नहीं होगा कि वे आगेके लाभके लिये सारा रूपया अिकट्टा दे दें। मौजूदा पैदावारके लिये यह बोझा जितना भारी हो सकता है कि पैदावार पर बुरा असर पड़े। ऐसी सूरतमें आज जितने रूपयेकी ज़रूरत हो, वह राज्य अधार ले ले और आयन्दा सालोंकी आमदनीमेंसे उसे चुका दे। जिसके सिवा अचानक ऐसे विशेष अवसर भी आ सकते हैं, जब कर लगानेपर निर्भर रहनेसे काम नहीं चल सकता। रूपयेकी तुरन्त आवश्यकता हो सकती है — जैसे लड़ाई, अकाल या मरीके वक्रत। ऐसे संकटकालमें सरकारको कर्जका आसरा लेना पड़ता है।

पहली सूरतमें जहाँ करको अुन वर्षोंपर फैलाना होता है, जिनमें अुसका लाभ होनेवाला हो और जहाँ खर्च सुधारके कामोंमें लोगोंकी पैदावारकी शक्ति बढ़ानेके लिये किया जाता है और अुससे लगाई हुई पूँजीपर मुनाफ़ा होता है, वहाँ अुसे 'अुत्पादक ऋण' कहते हैं।

दूसरी सूरतमें जहाँ ऋण किसी ज़रूरी खर्चके लिये लिया जाता है और यह ज़रूरी नहीं कि अुससे पैदावारकी शक्ति बढ़े, वहाँ अुसे 'अनुत्पादक ऋण' कहते हैं।

सालभरका कार्यक्रम तय करते वक़्त बजट बनानेका काम आजकलके राजकाजमें बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है । अिससे जनताके सामने यह आ जाता है कि सरकार सालभरमें क्या क्या करना चाहती है और लोगोंको बता दिया जाता है कि अुनकी जेबसे क्या खर्च होनेवाला है । अच्छा बजट वह होता है, जिसमें आय-व्यय बराबर हों, और जहाँ और रुपयेकी ज़रूरत होती है, वहाँ वह बता भी देता है कि यह ज़ायद रक़म किस तरह वसूल की जायगी । करसे होनेवाली जितनी आमदनीकी आशा रखी जाती है वह जब खज़ानेमें देरसे पहुँचती दिखायी देती है और खर्च तो करना ही पड़ता है, तब सरकारी हुण्डियोंके ज़रिये थोड़े दिनके लिअे क़र्ज़ ले लिया जाता है और बादमें जब कर वसूल हो जाते हैं, तब यह रुपया चुका दिया जाता है । अिन हुण्डियों और ऋणोंपर व्याज लगता है और जब तक वह चुका नहीं दिया जाता, तब तक वह सरकारके साधारण खर्चमें शामिल हो जाता है ।

जहाँ व्याजकी रक़में देशके भीतरके ही लोगोंको दी जाती हैं, वहाँ लोगोंकी पैदावार देशमें ही रहती है और लोगोंकी शक्ति बहुत नहीं घटती । अुस हालतमें भी धनकी बुरी व्यवस्था होती है, क्योंकि कर वसूल तो किये जाते हैं ग़रीबोंसे और दिये जाते हैं क़र्ज़ देनेवालोंको, जो आम तौरपर अमीर होते हैं । जब व्याज किसी ग़ैर मुल्कके शहरियोंको देना पड़ता है, तब क़र्ज़दार देशकी पैदावार गिरवी हो जाती है । जैसा जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है, ' जो देश विदेशोंको नियमित रूपसे रुपया देता है वह जो कुछ देता है अुसे तो खो ही देता है, अिससे भी ज़्यादा नुक़सान अुसका यह होता है कि अुसे मजबूर होकर अपनी पैदावारके बदले विदेशी चीज़ें घाटेसे खरीदनी होती हैं ।' जब क़र्ज़ लेनेवाले मुल्ककी अैसी स्थिति हो कि क़र्ज़ देनेवाले देशका अर्थ-व्यवहार, चलन और विनिमयकी नीति भी अुसीके हाथमें हो और अुसके लिअे सामान खरीदना भी अुसके अधिकारमें हो, तब यह हालत भयंकर रूप धारण कर लेती है ।

जब अैसी बड़ी रक़मोंकी ज़रूरत हो जो कभी चुकायी नहीं जा सकतीं और जिनके लिअे सरकार अनिश्चित काल तक व्याज देनेको तैयार

न हों, तो सरकार अपने विशेष अधिकारोंसे काम लेकर ज़बतीसे या पूँजी पर कर लगाकर साधन पैदा कर सकती है। ये रक़में आमदनीसे ज्यादा तो होती हैं, मगर यह 'सरकारी ऋण' नहीं होता।

आमदनीसे साधारण खर्च ज्यादा हानेपर वजटमें जो घाटा हो जाता है, उसे व्याज लगनेवाला ऋण मानकर पूँजी नहीं बना देना चाहिये।

क्रज़ लेकर सरकारी कामोंके लिये रुपया अिकद्रा करना अंक ऐसी नअी बात है, जो थंड़े असेसे ही चली है। यह अुस वक्तसे शुरू हुअी है जबसे व्यापारिक अुधारका काम बहुत वढ़ा है। पहलेके राजा अुस रुपयेको काममें लेते थे, जो जमा रहता था या मन्दिरों या दूसरी सार्वजनिक संस्थाओंसे लिया जाता था।

जब सरकारी कामोंके लिये ऋण ऐसी सरकार लेती है जो जनताकी प्रतिनिधि हो, तो वे ऋण 'राष्ट्रीय ऋण' कहलाते हैं और बहुत करके अुसी देशके लोगोंसे लिये जाते हैं। जहाँ हुकूमत और रिआयाके बीच ऐसा सम्बन्ध नहीं होता, वहाँ ये ऋण सिर्फ 'सरकारी ऋण' कहलाते हैं।

हिन्दुस्तानमें अंग्रेज़ोंके आनेसे पहले सरकारी ऋण-जैसी चीज़ काअी नहीं जानता था। अुससे पहले कोअी राजा क्रज़ लेता था, तो वह अुसका अपना निजी मामला होता था और जिस प्रजापर वह राज करता था अुससे अुसका कोअी वास्ता न होता था। कलाअिवके ज़मानेमें हिन्दुस्तान अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके मातहत था। यह अेक व्यापारिक जमात थी और अुसके पास कुछ खास मुल्की अधिकार भी थे। देशकी हुकूमत मुनाफ़ेके खयालसे होती थी और पूँजी हिन्दुस्तानसे अिग्लैण्डकी तरफ़ बराबर वही जा रही थी। हिन्दुस्तानी ऋणकी ज़रूरत न थी, क्योंकि ज़रूरतके अनुसार रुपया लूट-खसोटके सामन्तशाही नियमसे मिल सकता था। अितिहासके अिस कालमें अिग्लैण्डकी माली हालत बहुत गिरी हुअी थी। ब्रूक्स अंडमके कहनेके मुताबिक़^१ लगभग १७५०में "अिग्लैण्डके लांहेके अुद्योगका पूरी

१. लॉ आफ़ सिविलाअिजेशन अॅण्ड डिके, पृ० ३१३

तरह पतन हो रहा था, क्योंकि औधनके लिये जंगल नष्ट किये जा रहे थे। उस वक़्त जिस राज्यमें काम आनेवाला ५ लोहा स्वीडनसे आता था”, और १७६०से पहले “ लंकाशायरमें सूत कातनेवाली मशीनें लगभग अतनी ही सीधी-सादी थीं जितनी हिन्दुस्तानमें थीं। ” आविष्कार करनेवाले बहुत थे, मगर आविष्कारोंको काममें लेनेके लिये ज़रूरी हथपा नहीं था। दिल कल्पना कर दे और दिमाग़ तरकीब बता दे, तो भी अिन कल्पनाओंको व्यापारी पायेपर अमलमें लानेके लिये हाथ न हों, आदमी न हों तो सब कुछ बेकार है। अिन विचारोंको काममें लानेके लिये जिस पूँजीकी ज़रूरत थी, उसके जुटानेका मौक़ा प्लासीकी लड़ाईके बाद मिल गया।

प्रतिनिधि सरकार न हो तो हुकूमतका फ़र्ज़ है कि उसके हाथमें जो हथपा हो, उसे धरोहर समझकर काममें लें। हिन्दुस्तानकी मौजूदा सरकारको अीस्ट इण्डिया कम्पनीकी बनायी हुयी परम्परा विरासतमें मिली और उसने समयके अनुसार अपन तरीक़ोंमें अदल बदल भी कर लिये। फिर भी खज़ानेपर ठीक ठीक नियन्त्रण नहीं है, यद्यपि १८६१ से कठपुतली कौंसिलें बनाकर प्रतिनिधि ब्नासनका ढोंग किया जा रहा है। १९०९ तक बजट अिन कौंसिलोंके अिलाकेमे बाहर था। उसके बाद कुछ मदों पर वहस करनेकी अिजाज़त दी गयी और १९२० से सारे खर्चके लगभग २५% हिस्सेपर राय देनेका अधिकार दिया गया है। तबसे खज़ानेकी सत्ता अैसी कार्यकारिणीके हाथमें है, जो जनताके सामने ज़िम्मेदार नहीं है। पिछले साल जबसे अन्तरिम सरकार हुयी है तबसे बड़ी बड़ी आशाअें लगायी गयी थीं, मगर अिसकी मौजूदा रचनामें अिसके “ बायें हाथको यह पता नहीं चलता कि दाहिना हाथ क्या करता है। ”

२५९

अीस्ट अिण्डिया कम्पनी

धौंसका ज़माना

वहुत शुरूके ज़मानेमें अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके आदमियोंने अिस देशमें खुली लूट मचायी । प्लासीके बादके हालात वयान करते हुअे मैकाले कहता है,^१ “ अब कम्पनी और अुसके नौकरोंपर दौलतकी खूब वर्षा हुअी । मुर्शिदाबादसे कलकत्तेके फ़ोर्ट विलियमको ८ लाख पौण्ड की कीमतके चाँदीके सिक्के नावोंमें भरकर भेजे गये और जो कलकत्ता कुछ ही महीनों पहले सुनसान पड़ा था, वह अब हरा भरा हो गया । हर अंग्रेज़ घरमें व्यापारके चमक अुठने और वैभवके निशान प्रगट होने लगे । रही बात कलाअिवकी सो अुसका कोअी हाथ पकड़नेवाला ही न था । वह खुद ही संयम रखता तो दूसरी बात थी । ”

अिस तरह ‘ साम्राज्यकी अिमारत खड़ी करनेवाले ’ कलाअिवको हिन्दुस्तानको लूटनेका और यूरोपके लिअे रुपया जुटानेका हक़ मिल गया । तीन साल बाद फटकेका करघा पैदा हो गया और फिर चार बरसमें शरप्रीवकी कातनेकी मशीन निकल आअी । १७६८में वॉटने अपना भापका अिंजन बना दिया । १७७९ में क्रॉमटनने ‘ खच्चर ’ मशीनका आविष्कार किया और शक्तिसे चलनेवाले करघेका १७८५ में हक़ पेटेण्ट हो गया । यहींसे अिंग्लैण्डमें अुद्योगकी क्रान्तिका और हिन्दुस्तानमें अुद्योगके तनका आरम्भ हुआ । अिस तरह आविष्कारोंसे लाभ अुठानेके लिअे पूँजीकी जो ज़रूरत हुअी वह हिन्दुस्तानकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लूटसे पूरी की गअी ।

२ “ शायद जबसे सृष्टि हुअी है, पूँजी लगानेके किसी काममें कमी अेतना मुनाफा नहीं हुआ जितना हिन्दुस्तानकी लूटसे हुआ, क्योंकि

१. अेसे ऑन लॉर्ड कलाअिव, जिल्द ३ पृ. २४०

२. ब्रूक्स अेडमस, ‘ लॉ ऑफ सिविलाअिजेशन अेण्ड डिके ’, पृ. ३१७

लगभग ५० साल तक ग्रेट ब्रिटेनका कोअी प्रतिद्वन्द्वी नहीं रहा ।” बर्क कहता है कि जहाँ १७५० में साहूकारोंकी १२ दुकानें भी नहीं थीं, वहाँ १७९० में हर मण्डीमें अेक-अेक बैंक खुल गया था ।^१ “अिस तरह बंगालकी चाँदीके पहुँचते ही रुपयेका ढेर ही नहीं लग गया, बल्कि अुसका चलन भी तेज़ हो गया, क्योंकि १७५९में अेकदम बैंकने १० और १५ पौण्डके नोट जारी कर दिये और देशमें खानगी व्यापारिक कोठियोंने कागज़की बाढ़-सी बहा दी।” शायद प्लासी और वाटरलूके दरमियान हिन्दुस्तानके खजानेसे अंग्रेज़ी बैंकोंमें कोअी अेक अरब पौण्ड^२ धन भेजा गया होगा। अुस वक्तकी रुपयेकी खरीद-शक्तिको देखते हुअे हम मुश्किलसे अन्दाज़ लगा सकते हैं कि यह रकम कितनी बड़ी थी। यह ध्यान देनेकी बात है कि १८१५में अिंग्लैण्डका सारा राष्ट्रीय ऋण सिर्फ़ ८६ करोड़ १० लाख पौण्ड था, जो अुससे पहलेके ५० सालकी हिन्दुस्तानकी लूटकी अन्दाज़िया रकमसे कहीं कम था।

ग़बनका ज़माना

अुसके बाद हम माननीय अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके ग़बनके ज़माने पर आते हैं। कम्पनी अितनी मातबर थी कि वह धौंसके तरीक़ेसे काम नहीं ले सकती थी। अुसने यह किया कि वह लगानके रुपयेसे हिन्दुस्तानका माल खरीदकर यूरोप भेजती थी और वहाँ वह अुसके खातेमें बेचा जाता था।

अैसे हालातमें यह कुदरती था कि जब ब्रिटिश ताजके प्रतिनिधि यानी अीस्ट अिण्डिया कम्पनीवाले अितनी भारी रक़में अिंग्लैण्ड भेज सकते थे, तब हिन्दुस्तानमें सरकारी ऋण लेनेका सवाल ही नहीं अुठता था। ‘साम्राज्यकी अिमारत खड़ी करनेवालों’की बेहया लूटके अलावा, यह दूसरा अप्रत्यक्ष तरीक़ा अिसलिअे काममें लाया गया कि हिन्दुस्तानसे अिंग्लैण्ड रुपया हयादारीकी आड़में भेजा जा सके। अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी सरकारी आय करदाताओंके लिअे बिलकुल खर्च नहीं होती थी। अिस

१. ब्रक्स बेडम्स, ‘लॉ ऑफ सिविलाभिजेरेशन अण्ड डिके’, पृ० ३१७

२. विलियम डिम्बीका ‘प्रॉस्परस ब्रिटिश अिण्डिया’, पृ० ३३

आयसे हिन्दुस्तानी माल खरीदकर यूरोपमें बिकनेके लिये भेजा जाता था और जिस सौदेसे करदाताओंको कोअी मुनाफ़ा नहीं मिलता था । १७९३ और १८१२के बीचमें सरकारी आयकी जो औसत रक़म जिस तरह काममें ली गयी, वह सालाना १३० लाख पौण्डसे ऊपर थी । १

३

विक्टोरियाका युग

झूठे हिसाब बनाना

जब हम विक्टोरियाके युगके पास पहुँचते हैं, तब ग्रेट ब्रिटेन अितना अमीमानदार बन गया था कि वह क्लाउडिक्ली वेशर्म लूट या अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी बेपारी बेअीमानी-जैसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता था । वह लूटका माल तो लेना चाहता था, मगर उसे अमीमानदार और नेकनीयत दिखाअी देनेका बड़ा खयाल था । अब उसने सारे हिसाब झूठे बनाना शुरू कर दिये ।

जिसका ढंग यह था कि हिन्दुस्तानसे रुपया या माल तां न लिया जाय, मगर ब्रिटेनका खर्च हिन्दुस्तानके नाम लिख दिया जाय । नतीजा वही हुआ जो पहलेके दोनों तरीक़ासे हुआ था; यानी हिन्दुस्तानमें जो धन पैदा होता, वह अिंग्लैण्ड चला जाता और उससे हिन्दुस्तानी उत्पादकोंको कोअी फ़ायदा न होता । जिस तरह हमारा देश गरीब होता गया और ग्रेट ब्रिटेनके खज़ानेका बोझा हल्का होता रहा । जिसे आज 'हिन्दुस्तानका सरकारी ऋण' कहा जाता है, वह ज़्यादातर इसी तरह झूठी रक़में नामें लिख-लिखकर बनाया गया है ।

हिन्दुस्तानका कोअी 'राष्ट्रीय ऋण' तो नहीं था, क्योंकि उसकी कोअी राष्ट्रीय सरकार न थी । लेकिन स्टेटिस्टिकल अँव्स्ट्रैक्ट (ऑकड़ोंके ख़ुलासे) के मुताबिक, ३१ मार्च १९२६को हिन्दुस्तानका सरकारी ऋण १००० करोड़से ज़्यादा था । उसकी विगत यह है —

१. माबिन्यूट्स ऑफ़ अेविडेन्स ऑन दी अफेअर्स ऑफ़ दी अीस्ट अिण्डिया कम्पनी, १८१३

हिन्दुस्तानमें :

क्रजें	३६८	२९	
सरकारी हुण्डियाँ वगैरा	४९	६५	४१७ ०९४
प्रोविडेण्ट फण्ड,			
पो० ऑ० सेविंग्स बैंक वगैरा			९४ ०५५

अंग्लण्डमें :

१ फी रुपयेके हिसाबसे	५१३	२९	
----------------------	-----	----	--

१०२५ ०७८ करोड़ रुपये

हुण्डियों और रोजमर्राके देनेको छोड़कर बाक्री देनेके ये विभाग किये गये हैं :

‘अुत्पादक’	७३७	०१८
‘अनुत्पादक’	२२१	०८८

९५९ ००६ करोड़

‘अुत्पादक ऋण’का बँटवारा जिस तरह किया गया है :

रेलवे	६२६	००६
आबपाशी	९६	००४
डाक तार	१३	०००
जंगलात, नमक वगैरा	२	००८

७३७ ०१८ करोड़

अुपरके आँकड़ोंका अितना ही मतलब है कि अुस तारीख तक सरकारका खर्च आमदनीसे १००० करोड़ रुपये ज्यादा था। जिससे ज्यादा तफसील धिलकुल भरांसेके काबिल नहीं है और ज्यादातर बनावटी है, क्योंकि कोभी खास क्रज किसी अुत्पादक या अनुत्पादक कामके लिये या किसी खास जायदादके बदलेमें नहीं लिये गये। किसी क्रजको रेलवे या आबपाशीके लिये अलग रख देना सम्भव नहीं। अिनका वर्गीकरण और वितरण दोनों मनमाने ढंगसे किये गये हैं। ‘अनुत्पादक’ ऋणोंको खायद आमदनीमेंसे घटा देनेकी सरकारी नीतिके कारण ‘अुत्पादक’ और ‘अनुत्पादक’ ऋणोंका शुरूका अनुपात भी हमेशा बदलता रहा है। यह

जनताकी आँखोंमें धूल झोंकनेकी अेक हिसाबी चाल थी, जिससे करदाता यह समझे कि क्यादातर ऋणकी क्रीमतकी जायदाद मौजूद है। अगर अिन ऋणोंकी जाँच की जाय, तो पहली ज़रूरत तो यह है कि अिस दिखावटको दूर किया जाय और याद रखा जाय कि कुल 'सरकारी ऋण' सिर्फ़ सरकारका आमदनीसे क्यादा किया गया खर्च है, या जैसे जैसे घाटा होता गया, अधार ले लेकर अुसे पूरा किया जाता रहा। जब यह सफ़ाअी हां जायगी, तब जाँच पड़तालका विषय अितना ही रह जायगा कि किन किन मदोंमें यह क्यादा खर्च किया गया। जैसा हम पहले ही समझा चुके हैं, ये मदें अिन दोमेंसे अेक किस्मकी हो सकती हैं :

१. खास ज़रूरतके वक़्त किया हुआ खर्च

२. पूँजी लगानेमें हुआ खर्च

अगर ये खर्चें लोगोंकी तरफ़से और हिन्दुस्तानकी भलाअीके लिअे किये गये होंते, तो ज़रूर अुनकी जिम्मेदारी हमारी होती। लेकिन अगर हमें यह पता लगे कि हमारे हिसाबमें वे रक़में भी हमारे नामें लिखी गअी हैं जो वाजिब नहीं हैं, तो अिन रक़मोंको नामंज़ूर करना पड़ेगा। ये नामंज़ूर की हुअी रक़में अूपर दिये हुअे सरकारी ऋणके आँकड़ेके बराबर होंगी, अगर ऋण पूरा ही अिन मदोंके कारण हो; वे रक़में ऋणोंसे कम होंगी, अगर खास मौक़ेपर किया गया खर्च या पूँजी लगानेका खर्च कुछ कुछ सरकारी आमदनीमेंसे किया गया हो और पूरी तरह क़र्ज़ लेकर ही न किया गया हो; और वे रक़में ऋणसे क्यादा होंगी, अगर सरकारी ऋण समय समयपर ज़ायद आमदनीमेंसे घटाया गया हो। सच बात यह है कि हिन्दुस्तानमें तो यह पिछली बात ही हुअी है। ज़ायद आमदनीमेंसे बड़ी बड़ी रक़में अिन ऋणोंको, खास तौरपर अनुत्पादक ऋणोंको, घटानेके लिअे अिस्तेमाल की गअी हैं। जिस आर्थिक लेन-देनके बारेमें शंका हो, अुस सारेका ठीक ठीक हिसाब तैयार किया जाय, तो अिन मदोंका जोड़ १००० करोड़के सरकारी ऋणके आँकड़ेसे बढ़ जायगा। रक़में कुछ भी हों, नतीजा यही निकल सकता है कि ये रक़में हिन्दुस्तानके हिसाबसे निकाल दी जानी चाहियें और जिन लोगोंके नामें लिखना वाजिब है, अुनके नामें लिखी जानी चाहियें।

अिस ज़मानेमें जिज्ञ मदोंका खर्च हिन्दुस्तानके नामें डाला गया है, अुनका हम नीचे विचार करेंगे :

	लाख पौण्ड
१. पहला अफ़ग़ान युद्ध	१२०
२. बर्माकी दो लड़ाअियाँ	१४०
३. चीन, अीरान वगैराकी चढ़ाअियाँ	६०
४. हिन्दुस्तानका ' ग़दर '	४००
५. कम्पनीकी पूँजी और मुनाफ़ेका भुगतान	३७०
	<hr/>
	१०९० लाख पौण्ड

अफ़ग़ान युद्ध

यह लड़ाअी ग्रेट ब्रिटेनकी सरकारने अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी अिच्छाके ख़िलाफ़ मोल ली थी । फिर भी अिसका सारा खर्च हिन्दुस्तानके सिरपर धोपा गया है । अिस बारेमें सर जार्ज विंगेटने लिखा है :

“ अिनमेंसे अफ़ग़ान युद्ध बहुत ध्यान देने लायक़ है और अब यह अच्छी तरह समझ लिया गया है कि यह लड़ाअी ब्रिटिश सरकारने कोर्ट ऑफ़ डाअिरेक्टर्सकी सलाहके बिना और अुनके विचारोंके विरुद्ध मोल ली थी । सच पूछा जाय तो वह ख़ालिस ब्रिटिश लड़ाअी थी । लेकिन अैसा होनेपर भी और कोर्ट ऑफ़ डाअिरेक्टर्सकी अेक होकर गम्भीर रायें जाहिर कर देनेके बावजूद और अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके मालिकोंकी सभाके अिस प्रस्तावके होते हुअे भी कि अिस लड़ाअीका सारा खर्च हिन्दुस्तानके खज़ानेपर ही न डाला जाय, मन्त्रि-मण्डलने अैसा ही कराया । ”

अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके अध्यक्ष और अुपाध्यक्षने अपने ६ अप्रैल १८४२के पत्रमें अिसका विरोध करत हुअे लॉर्ड फ़िट्ज़जेरल्डको लिखा था :

“ अिन हालातमें कोर्टका हिन्दुस्तानकी तरफ़से यह दावा करनेका फ़र्ज़ हो गया है कि अुसे अुस खर्चसे बचाया जाय, जो न्याय और

निष्पक्षतासे देखनेपर उसपर डालना वाज़िब न हो; और यहाँ कोर्ट यह नहीं चाहती कि वह सिन्धु नदीके पारकी मुहिमोंके मक़सदके बारेमें समयसे पहले कोअी सवाल अ़ुठाये, फिर भी यह अर्ज़ करना पड़ता है कि किसी भी अिन्साफ़ या मसलेहतके खयालसे अिन फ़ौज़ी कार्रवाअियोंका और जो कुमुक भेजी जानेवाली है अ़ुसका सारा भार हिन्दुस्तानके खज़ाने पर नहीं डाला जा सकता ।”

२७ जून, १८४२को अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी जनरल कोर्टने यह निश्चय किया :

“ पार्लियामेण्टके सामने पेश किये हुअे कागज़ातसे जैसा ज़ाहिर होता है, अफ़ग़ानिस्तानके मामलोंमें ब्रिटिश हस्तक्षेपसे सम्बन्ध रखनेवाले तमाम हालातपर विचार करनेपर अिस कोर्टकी राय है कि अिस लड़ाअीका सारा खर्च हिन्दुस्तानपर नहीं डाला जाना चाहिये, बल्कि अिसका अेक हिस्सा युनाअिटेड किंगडमके खज़ानेको बर्दाश्त करना चाहिये ।”

अेशियाकी दूसरी लड़ाअियोंके बारेमें सर जार्ज विंगेटने लिखा था :

“ हमारे साम्राज्यकी हदके बाहर हमने अेशियामें जितनी लड़ाअियाँ लड़ी हैं, वे भारत सरकारके सैनिक और आर्थिक साधनोंसे लड़ी हैं, यद्यपि अिनमेंसे कुछका हेतु बिलकुल अंग्रेज़ोंका अपना था और कुछका सम्बन्ध हिन्दुस्तानकी भलाअीसे बहुत दूरका था । अिन लड़ाअियोंका बीड़ा भारत सरकारने अ़ुस वक़्तके ब्रिटिश मन्त्रियोंकी हिदायतोंके अनुसार अ़ुठाया था और ये हिदायतें बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोलके अध्यक्षोंके मारफ़त मिलती थीं; और अ़ुनका जो भी नतीजा हुआ है, अ़ुसके लिअे अंग्रेज़ क्रौम साफ़ तौरपर ज़िम्मेदार है ।”

अीरानी युद्ध

अीरानकी लड़ाअीके बाबत अ़ुनका कहना है :

“ पिछले अीरानके जंगका अैलान ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डलने अेक अैसी नीतिके मातहत किया था, जिसके साथ हिन्दुस्तानका दरअसल कोअी वास्ता न था । फिर भी लड़ाअी हिन्दुस्तानके सिपाहियों और साधनोंसे लड़ी गअी और सच पूछा जाय तो अ़ुसका आधा खर्च ही बादमें अिस देशने बर्दाश्त किया था । सच तो यह है कि हमारी सारी अेशियाअी

लड़ाकियोंमें आदमी और हर तरहके साधन हिन्दुस्तानसे लिये गये हैं और जिस तरह दी गयी मददकी पूरी कीमत उसे कभी नहीं चुकायी गयी। जिससे हमारी हिन्दुस्तान सम्बन्धी नीतिके अिकतरफ़ा और स्वार्थी होनेका अकाट्य प्रमाण मिलता है।”

“गदर”

मार्च, १८५९में अीस्ट अिण्डिया कर्ज़पर बोलते हुअे जॉन ब्राअिटने कहा था :

“मेरे खयालसे विद्रोहका जो ४ करोड़ पौण्ड खर्च हुआ है, उसका बोझा हिन्दुस्तानपर डालना बड़ी बुरी बात होगी। यह सब पार्लियामेण्ट और अिंग्लैण्डके लोगोंकी बदअिन्तज़ामीका नतीजा है। अगर न्याय ही करना हो, तो बेशक ये चार करोड़ पौण्ड अिस मुल्ककी जनतासे वसूल किये गये करसे दिये जाने चाहिये।”

सर जार्ज विंगेटने “हिन्दुस्तान सम्बन्धी नीतिकी बेमिसाल नीचता और स्वार्थी परम्परा” की तरफ़ अिन शब्दोंमें ध्यान दिलाया है :

“तो हिन्दुस्तानके गदरका अितना संकट होनेपर भी और हिन्दुस्तानके खज़ानेकी बुरी हालत हो जानेपर भी ग्रेट ब्रिटेनने हिन्दुस्तानसे न सिर्फ़ वहाँ भेजी गयी फ़ालतू पल्टनोंका यहाँसे रवाना होनेके बादसे सारा खर्च वसूल किया है, बल्कि अिस मुल्कसे रवाना होनेके पहलेके छः महीनोंका भी अुन पल्टनोंका खर्च तलब किया है। अैसा करनेके लिये कारण हो सकते हैं, लेकिन अिससे ब्रीनसकी याद आती है। अुसने तराजुमें अपनी तलवार डालकर कहा था कि हारे हुअे रोमन लोग अुसके बराबर हर्जानेकी रकम दें; लेकिन चूँकि सिपाहियोंसे काम हमने लिया था और अुनकी तनख्वाहका खर्च अुस समयके लिये अिस राज्यके अुद्योगपति-वर्गकी हिमायतमें हुआ था और अुससे हिन्दुस्तानका कोअी फ़ायदा नहीं हो सकता था, अिसलिये हमारा नैतिक फ़र्ज़ है कि हम न्याय या अीमानदारीके वे अुसूल समझायें, जिनके मातहत हमने भारतके बुरी तरह भारसे दबे हुअे खज़ानेपर यह भारी खर्च और डाल दिया है।”

१. अवर फ़ाअिननिशयल रिलेशन्स विथ अिण्डिया, पृ० १७-१९

२. ” ” ” पृ० १५-१६

जंगी दफ्तरने १४ अप्रैल, १८७२के अंक पत्रों जो 'असाधारण प्रार्थना' की थी, उसके बावत भारतमन्त्रीने ८ अगस्त, १८७२को यह लिखा :

“लेकिन यह याद रखना चाहिये कि अगर सम्राटके राजके किसी और हिस्सेमें इस तरहकी लड़ाईकी कार्रवाही आवश्यक हुई होती, तो वह कार्रवाही साम्राज्य सरकारको ही करनी पड़ती और उसका ज्यादातर बोझ उसीको उठाना पड़ा होता; लेकिन हिन्दुस्तानके ग़दरकी बात यह है कि उसे दबानेके खर्चका कोई हिस्सा साम्राज्यके खज़ानेपर नहीं पड़ने दिया गया और यह सारा खर्च हिन्दुस्तानी करदाताओंने दिया या वे अब दे रहे हैं।”

अस्टि अण्डिया कम्पनीकी पूँजी और उसका मुनाफ़ा

हमारी सूचीमें हमने जो मद आखिरमें दिखायी है, वह अस्टि अण्डिया कम्पनीकी पूँजीकी खरीदका मूल्य और उसपर दिया हुआ व्याज है। यह बहुत ही अजीब आर्थिक सौदा है। अंक कम्पनीके हक़ कोअी खरीद लेता है, लेकिन खरीदके दाम खरीददार न देकर, खुद कम्पनी ही व्याज समेत देती है ! अैसी दूसरी मिसाल इस सट्टेबाज़ कम्पनीकी व्यवस्थाके गन्दे इतिहासमें भी मिलनी मुश्किल है।

जो चन्द मर्दे अूपर बयान की गयी हैं, जिनका कुल जोड़ १०९० लाख पौण्ड होता है और जो ब्रिटिश ताज़ने हिन्दुस्तानकी पूरी ज़िम्मेदारी सँभाली उससे पहलेकी हैं, वे साफ़ तौरपर ब्रिटिश खज़ानेपर पड़नी चाहिये थीं; मगर बेजा तौरपर और बेअीमानीसे वावजूद बार बार विरोध होनेके भी डाल दी गयीं हिन्दुस्तानके खज़ाने पर।

ताज़की मातहतमें

'ग़दर'के बाद ब्रिटिश ताज़ने हिन्दुस्तानकी हुकूमतकी बागडोर सँभाली। इससे झूठे जमाखर्चकी नीतिको चलाना बहुत ही आसान हो गया। अब कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्सको राज़ी रखने या उनके विरोधका सामना करनेकी झंझट भी नहीं रही। अब अितनी ही ज़रूरत रह गयी कि ब्रिटिश खज़ानेका कुछ करोड़का भार हलका करना हुआ, तो अनचाहे खर्चको हिन्दुस्तानके खज़ानेके नाम लिख देनेका फ़रमान हिन्दुस्तानकी सरकारके नाम भेज दिया और भारत सरकार अूपरसे आनेवाले

अिन आदेशोंको .खुशीसे मान लेती थी । बेशक लॉर्ड नार्थब्रुक-जैसे कुछ सिरफिरे अफसर भी थे, जो बेवकूफीसे मन्त्रि-मण्डलके वज़ीरोंकी धर्मात्मापनकी बातांपर भरोसा करते थे और साम्राज्यवादी कामोंमें न्याय और अीमानदारीके सिद्धान्तोंको लागू करनेके अपने ग़लत खयालोंमें आकर बेअीमानियोंसे नाराज़ होकर अपने पदोंसे अिस्तीफ़ा दे देते थे । अिस तरह फ़ालतू मालको समुद्रमें फेंकते और समुद्रपर तैरते हुअे मालको बटोरते हुअे साम्राज्य सरकारका जहाज़ अचल और निर्दय होकर चलता रहा ।

अिस तरहके जमाखर्चके कुछ अुदाहरणोंकी जाँच पड़ताल कर लें ।

(क) बाहरी लड़ाअियाँ

जहाँ तक बाहरी लड़ाअियोंके अुस खर्चका सम्बन्ध है, जो अन्यायसे हमपर लाद दिया गया, नीचे लिखे खर्च खासतौर पर ध्यान देने लायक हैं :

१८६७ अवीसिनियाकी लड़ाअी	६००,०००	पौण्ड
१८७५ पीराककी मुहिम	४१,०००	„
१८७८ दूसरा अफ़ग़ान युद्ध	१७,५००,०००	„
१८८२ मिन्न	१,२००,०००	„
१८८२ सरहदकी लड़ाअियाँ	१३,०००,०००	„
१८८६ बर्माकी लड़ाअी	४,७००,०००	„
१८९६ सूकिम	२००,०००	„
		लगभग ३८ करोड़ रुपये
१९१४-१९ यूरोपकी लड़ाअीका खर्च	३९ करोड़	रुपये
„ „ „ 'दान'	१५०	„ „
रक्षापर ज़्यादा खर्च	१७०.७	„ „
		३९७.७ करोड़ रुपये

अवीसिनियाकी लड़ाअीके बारेमें, फ़ॉसेट कमेटी (१८७६) के सामने गवाही देते हुअे सर चार्ल्स ट्रेवेलियनने कहा था :

“ अवीसिनियाकी लड़ाअीका कारण हमारे सारे ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाली साम्राज्यशाहीकी भावना थी और अुसका वास्ता जितना

हमारे यूरोप और अमरीकाके सम्बन्धोंसे था, अतना हिन्दुस्तानके सम्बन्धोंसे नहीं था ।

“ सच तो यह है कि हिन्दुस्तानके लोगोंको अबीसिनियाके बारेमें कुछ भी मालूम न था । ”

असके बाद अन्होंने १६००वें सवालके जवाबमें कहा था :

“ सच पूछा जाय तो अबीसिनियाकी हमारी मुहिमोंसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडाका जितना वास्ता था, उससे ज्यादा वास्ता हिन्दुस्तानका किसी भी तरह नहीं था और अगर हमने उस लड़ाईके खर्चमें मदद करनेकी माँग ऑस्ट्रेलिया और कनाडासे नहीं की, तो उसका अेक मात्र कारण यह था कि हम अच्छी तरह जानते थे कि वे गुस्से और तिरस्कारसे जैसे प्रस्तावको ठुकरा देंगे, वे उसपर ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे । क्या वे ध्यान देंगे ? खैर, अेक अीमानदार आदमीकी हैसियतसे यह कहना मेरा धर्म है कि मुझे कोअी सच्चा फ़र्क़ नहीं दिखाअी देता । जिन कार्रवाअियोंसे अबीसिनियाकी लड़ाअी पैदा हुअी, उनसे हिन्दुस्तानका कोअी सम्बन्ध नहीं था और न उसके नतीजेसे ही उसका बहुत वास्ता था । ”^१

अर्ल आफ़ नार्थब्रूकने वेल्बी कमीशन (१८९७) के सामने बयान दिया था कि अबीसिनियाकी लड़ाअीका खर्च अेक अैसी रक़म है, जिसका दावा करनेके लिये हिन्दुस्तानके पास न्याय और अीमानदारी दोनोंके खयालसे कारण हैं । ”^२

असके अलावा पीराककी मुहिमके बारेमें जो रक़म गैरक़ानूनी ढंगसे हिन्दुस्तानपर डाली गअी, उसपर लॉर्ड नार्थब्रूकने नीचे लिखी शहादत की थी :

“ मैं उस वक़्त गवर्नर जनरल था और मैंने यह खर्च हिन्दुस्तानसे वसूल करनेका विरोध किया था । लेकिन भारत सरकारकी नाराज़ीपर कोअी ध्यान नहीं दिया गया । अितना ही नहीं, क़ानूनसे पार्लियामेण्टकी दोनों सभाओंमें जो चर्चा होनी चाहिये थी, वह भी नहीं हुअी । अस

१. पार्लियामेण्टरी कमिटी ऑन भीस्ट अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर, १८७६, जिद्ध ३, पृष्ठ १५१

२. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, जिद्ध ३, पृष्ठ २३

तरह कानून ताड़ा गया और हिन्दुस्तानपर अिस तरह जो खर्च डाल दिया गया, वह कभी नहीं लौटाया गया। वह खर्च अिस वक्तसे कानूनके खिलाफ़ और भारत सरकारके विरोधके बावजूद हिन्दुस्तानके ही जिम्मे रहा है।”^१

दूसरे अफ़ग़ान युद्धपर पार्लियामेण्टकी चर्चाके दरमियान अपने भाषणमें मि० फ़ॉसेटने अिस लड़ाईका खर्च हिन्दुस्तानपर डाले जानेका विरोध किया और कहा था :

“ हिन्दुस्तानमें अेक अैसी लड़ाई हुअी, जिसके लिअे हिन्दुस्तानके लोग जिम्मेदार नहीं थे और जो हमारी ही अपनी यूरांपकी नीति और कामोंसे पैदा हुअी थी। लेकिन हम अुसका पाअी-पाअी खर्च हिन्दुस्तानियोंसे वसूल करनेवाले हैं, हालाँ कि न अुन्हें स्वराज हासिल है और न अुनका कौअी प्रतिनिधित्व है।”^२

और मि० ग्लैडस्टनने मि० फ़ॉसेटकी हिमायत की और कहा था :

“ अिस अफ़ग़ान युद्धको साफ़ तौरपर साम्राज्यवादी ढंगकी लड़ाई मान लिया गया है . . . लेकिन मेरे खयालसे (५० लाख पौण्डकी) छोटीसी रक़म ही नहीं, बल्कि जिसे मेरे माननीय मित्र, अर्थ-मन्त्री, खासी और बड़ी रक़म कहेंगे, कमसे कम वह अिस देशको भुगतनी चाहिये।”^३

अिस लड़ाईके बाद अमीरका १८९४ तक ६ लाख सालाना दिया जाता रहा। अुसके बाद अुन्हें १२ लाख सालाना दिया गया। लड़ाईके खर्चके अलावा ये रक़में भी हिन्दुस्तानके खज़ानेसे दी गअी थीं।

१८८२ की मिस्त्रकी फ़ौजी कार्रवाअीपर वेल्बी कमीशनके सामने गवाही देते हुअे भारत सरकारके फ़ौजी मन्त्री, मेजर जनरल अी० अेच० अेच० कोलनने अपनी यह राय दी थी कि “ अिस क्रिस्मकी मुहिमके लिअे हिन्दुस्तानपर अेक कौड़ीका भी खर्च नहीं पड़ना चाहिये था।”

सरहदी लड़ाअियोंके बारेमें हिन्दुस्तानके सरकारी खर्चकी जाँच करनेवाले कमीशनने कहा है, “ ये सब लड़ाअियाँ जहाँ तक कि बड़े साम्राज्यके

१. अिण्डियन बेक्स्पेण्डचर कमीशन, १८९५, जिल्द ३, पृष्ठ २०

२. हंसाई, जिल्द २५१, पृ० ९२६

३. ,, ,, २५१, पृ० ९३५

सवालकी अंग हैं, वहाँ तक उनका खर्च खास तौरपर साम्राज्यके खज़ानेको ही करना चाहिये था।”^१

बर्माकी लड़ाईका खर्च हिन्दुस्तानपर डालना कहाँ तक ठीक था, अिस बारेमें मिस्टर डी० आ० वाचाने (बादमें वे सर दिनशा हो गये) वेल्बी कमीशनके सामने बयान किया :

“जहाँ तक अूपरी बर्माका ताल्लुक है, फ्रौजी चढ़ाईका सारा खर्च और बादकी हुकूमतकी लागत सारीकी सारी अिंग्लैण्डसे हिन्दुस्तानकी मिलनी चाहिये और अुस प्रान्तको, जैसा कांग्रेसने सुझाया था, हिन्दुस्तानसे अलग करके अुसे सम्राट्का सीधा अिलाका बना देना चाहिये। बर्मापर रंगून और माँडलेके अंग्रेज़ व्यापारियोंके कहनेसे कब्ज़ा किया गया था। हिन्दुस्तानने कभी अुसे मिलानेकी माँग नहीं की थी और यह हिन्दुस्तानके साथ अन्याय है कि अंग्रेज़ पूँजीपतियोंकी भलाईके लिअे और ब्रिटिश साम्राज्यके फैलावकी खातिर हिन्दुस्तानके खजानेसे कोअी खर्च दिया जाय।”^२

और मि० गोखलेने अुसी कमीशनसे कहा था :

“बर्माको साम्राज्यवादी नीतिके अनुसार और साम्राज्यके व्यापारिक हितमें फ़तह किया गया था और अुसमें हिन्दुस्तानकी किसी खास भलाईका खयाल नहीं था।”^३

सूक्तिमकी चढ़ाईका खर्च भारत सरकारके विरोध करनेपर भी हिन्दुस्तानके मत्थे मढ़ दिया गया। भारत सरकारने लिखा था :

“सूक्तिमकी स्थिति मज़बूत करने और मिस्री फ्रौजको नील नदीके किनारेपर अिस्तेमाल करनेके लिअे आज़ाद करनेके खातिर हमसे कहा गया है कि हिन्दुस्तानकी देशी सेनाके आदमी रक्षाका काम करनेके लिअे दिये जायँ। लेकिन अूपर बताअी हुअी नीतिपर अमल करनेमें हमें हिन्दुस्तानका कोअी दूरका भला भी नहीं देखता। यह तो कहा नहीं जा सकता कि स्वेज़ नहरकी सलामतीका सवाल है और हिन्दुस्तानके करदाता,

१. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर, जिल्द ४, पृ० १८७

२. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, जिल्द ३, पृ० २०४

३. ” ” ” ” पृ. २४३

जिन्हें सूक़िम जानेवाली फ़ौजका खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है, अिस फ़ौजके लिअे अुनपर लगाये जानेवाले टैक्सके कारणोंको मुश्किलसे ही समझ सकेंगे, क्योंकि यह सेना हिन्दुस्तानमें काम न करके मिश्रकी सरहदपर व्यवस्था क्रायम रखनेके, मिश्रके अेक प्रान्तके कुछ हिस्सेको फिरसे फ़तह करनेके या अिटलीकी सेनाको मदद पहुँचानेके लिअे अिस्तेमाल होगी । . . . अैसे हालातमें हमें जिस देशका राजकाज सौंपा गया है अुसके हितमें हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अेक बार निहायत ज़ोरदार शब्दोंमें अुस नीतिका विरोध करें, जिससे हिन्दुस्तानके खजानेपर अुन कामोंका खर्च डाला जा रहा हो, जिसमें हिन्दुस्तानका कुछ भी भला न हो । यह नीति हिन्दुस्तानके साथ अन्याय करती है; क्योंकि अिससे अिंग्लैण्डको अुधार दी हुअी फ़ौजका खर्च हिन्दुस्तानपर पड़ता है और यह अुसूल अुस अुसूलसे भिन्न है जा अिंग्लैण्ड हिन्दुस्तानको अंग्रेजी फ़ौज अुधार देते वक़्त लागू करता है । यह नीति मसलेहतके हिसाबसे भी अच्छी नहीं है; क्योंकि अिससे हमारी सरकारपर अैसे हमले हो सकते हैं, जिनका कोअी माक़ूल जवाब नहीं है ।” १

फुटकर खर्च

अिन वाहरी लड़ाअियोंके खर्चके अलावा, हिन्दुस्तानके खज़ानेपर दुनिया भरके दूसरे खर्चोंका बोझा भी डाल दिया गया है, जैसे अीरानी मिशन, चीनी कॉन्सल और राजदूतावासके खर्च वगैरा । अिस मामलेमें भी मि. रैम्ज़े मेकडोनल्डका हवाला देना मुनासिब होगा :

“गैर फ़ौजी पहलूको देखें तो वहाँ भी कअी खर्च अितने आपत्ति-जनक हैं कि अुनका अन्दाज़ खर्चकी रक़मोंसे ही नहीं लगाया जा सकता । भारत-मन्त्रिके दफ़्तरका खर्च हिन्दुस्तानके खज़ानेसे दिया जाता है । मगर अिस तरह अुपनिवेशोंके दफ़्तरका खर्च अुपनिवेशोंसे नहीं लिया जाता । सम्राट और भारत-मन्त्रि हिन्दुस्तान जाते हैं तो अुनकी यात्राओंका खर्च भी हिन्दुस्तानके करदाता देते हैं । ये रक़में जो अिस वक़्त लगभग ४ लाख पौण्ड हैं, बराबर बढ़ती जा रही हैं । ये सब साम्राज्यके खर्चें

१. फायनेन्शियल डेवलपमेण्ट्स अिन मॉडर्न अिण्डियासे अुद्धृत, पृ० १३१

हैं और ज्यादातर भारत सरकारसे अलग हैं । उनको हिन्दुस्तानके बजटमें दिखाना नीचता है और हमारी शानके बिल्कुल खिलाफ है । ” १

कम्पनीके डाबिरेक्टरीने जो बुरेसे बुरे तरीके काममें लिये वैसे ही तरीकोंकी मिसालें ब्रिटिश सरकारके अर्थ-विभागवालोंके व्यवहारमें पायी जाती हैं । रेड सी ऐण्ड अिण्डियन टेलीग्राफ कम्पनीके मामलेका अुदाहरण ही अेक लीजियं; यह १८५८में बनी थी और अर्थ-विभागने अुसे पचास सालके लिये ४३% की गारण्टी दी थी । अेक दां दिनके बाद तारकी लाइन टूट गयी और सालाना रकमका आधा हिस्सा हिन्दुस्तानी खजानेपर डाल दिया गया । अिस मामलेमें वेल्बी कमीशन कहता है :

“ १८६१में अेक कानून पास किया गया कि गारण्टीकी अब यह शर्त रहेगी कि तार ठीक तरह काम देता हो । १८६२में दूसरा कानून बनाया गया कि लाइन खबरें नहीं पहुँचा रही है, अिसलिये सम्पत्ति दूसरी कम्पनीके सुपर्द कर दी गयी और पुरानी कम्पनीकी गारण्टी बदलकर ४६ सालके लिये ३६००० पौण्ड सालाना रकम कर दी गयी । यह शर्त भी रख दी गयी कि सालाना रकमकी आधी यानी १८०२७ पौण्ड प्रबन्ध खर्चके रूपमें ४ अगस्त १९०८ तक हिन्दुस्तान सम्राटके खजानेको देता रहे । ” २

अिस व्यवस्थाके अनुसार जो रकम दी गयी, वह ४ फ्री सदी व्याजके हिसाबसे वापस माँगी जाय, तो कुल रुपया २० लाख पौण्डके आसपास पहुँचेगा ।

सालाना फ़ौजी खर्च

यह बुरी बात सबको मालूम है कि हमारी सरकारी आमदनीका ज्यादातर रुपया सरकारके बुनियादी कामोंपर खर्च कर दिया जाता है । राष्ट्र-निर्माणके कामोंपर खर्च न करके फ़ौजी खर्चके साधन जुटानेसे देशकी कितनी हानि हुयी है, अिसकी तफ़्सीलमें जानेकी यह जगह नहीं है । लेकिन यह ध्यान देनेकी बात है कि सन् १८५७से भारतमें सेना अेक तरहसे कब्ज़ा रखनेवाली फ़ौजका ही काम करती है । अुस तारीख

१. गवर्नमेण्ट ऑफ़ अिण्डिया, पृष्ठ, १५५

२. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, १८९५, जिल्द २, पृष्ठ ३७०

तक गोरे सिपाहियोंसे हिन्दुस्तानी सिपाही पचगुने होते थे। उसके बादसे अनुपात दुगुना ही कर दिया गया, ताकि अंग्रेजोंका कब्जा सही-सलामत रहे। हिन्दुस्तानी फौजकी ताकत साम्राज्यवादी कामोंके लिये पूरी कायम रखी गयी है, यह जिस बातसे जाहिर है कि जब कभी हिन्दुस्तानसे बाहर साम्राज्यवादी लड़ाइयोंके लिये हिन्दुस्तानी सिपाहियोंकी जरूरत हुयी अन्हें बगैर किसी हिचकिचाहटके बाहर भेज दिया गया और जिस बातकी कोअी कोशिश नहीं की गयी कि अउनकी गैर मौजूदगीमें दूसरे सिपाही हिन्दुस्तानमें रख दिये जायँ। जिस तरहसे भारतका अंग्रेजोंके साम्राज्यवादी कामोंके लिये फौज मुहैया करनेकी 'पूर्वी समुद्रोंमें अेक छावनीके रूपमें' अिस्तेमाल किया गया है। चूँकि हर गोरे सिपाहीका खर्च हिन्दुस्तानी सिपाहीसे लगभग तिगुना-चौगुना माना जाता है, जिसलिये भारत सरकारका फौजी खर्च जितना हाना चाहिये था, उससे बहुत ज्यादा रहा है। अगर सेना सिर्फ बचाव और भीतरी व्यवस्थाके लिये ही रखी जाती और उसमें हिन्दुस्तानी सिपाही होते, तो यह बात न होती। अैसी हालतमें मुनासिब यही है कि हिन्दुस्तानकी आवश्यकतासे अधिक जितना खर्च हुआ, वह ग्रेट ब्रिटेनका बर्दाश्त करना चाहिये।

अिसके सिवा साम्राज्यके खयालसे फौजको जिस अँचे दर्जेपर सुसज्जित रखा गया है उसकी जरूरत खालिस स्थानीय कामोंके लिये नहीं होती। वेल्वी कमीशनके अेक सदस्य मि० बुकाननने कमीशनकी रिपोर्टके अपने विशेष वक्तव्य नं० ४ में कहा है :

“यह पहले ही बता दिया गया है कि जहाँ तक देशके सैनिक बचावका सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान उसका सारा खर्च देता है और यूनाजिटेड किंगडम कुछ भी नहीं देता। फिर भी हिन्दुस्तानके सैनिक बचावको कायम रखना साम्राज्यका अेक बड़ेसे बड़ा सवाल है।

“पूर्वमें हमारे साम्राज्यकी लड़ाईमें मुख्य हाथ हिन्दुस्तानकी फौजी ताकतका रहा है। उस ताकतके कारण ही ग्रेट ब्रिटेन अेशियाकी अेक बढ़ी सत्ता है। साम्राज्यके लिये हिन्दुस्तानकी फौजका कितना महत्त्व है, अिसका ज़बर्दस्त अमली सबूत वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता है, जो दक्षिण अफ्रीकाकी लड़ाईमें हमें हिन्दुस्तानसे मिल रही है। अेक

नाजुक घड़ीमें लगभग ६ हजार अंग्रेज़ सिपाही पूरी तरह लड़नेके लिये तैयार हिन्दुस्तानसे नेटाल आनन फ़ाननमें भेज दिये गये, उसके बाद और लोग चले गये और अिस वक़्त हिन्दुस्तानी पलटनें मॉरीशस, लंका, सिंगापुर और दूसरी जगहोंपर, जहाँसे ब्रिटिश सिपाही लड़ाईके कामके लिये हटा दिये गये हैं, रक्षाका काम कर रही हैं ।

“ अिसलिये अिसमें कोई शक़ नहीं कि साधारण कारणोंसे और हमारे अिस ताज़ा अनुभवसे भी, कि हिन्दुस्तानकी सैनिक ताक़तसे साम्राज्यको कितनी बढ़िया मदद मिल सकती है, यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि हिन्दुस्तानकी ताक़त साम्राज्यकी ताक़त है और साम्राज्यके लिये यह कर्त्तव्य पालन करके हिन्दुस्तानका यह दावा न्यायपूर्ण हो जाता है कि भारका कुछ हिस्सा साम्राज्यके ख़जानेको अुठाना चाहिये । अिस रकमका बन्दोबस्त किस तरह किया जाय, अिस बारेमें कठिनाअियाँ हो सकती हैं, पर अिसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानका दावा बिलकुल वाजिब है । ”^१

१८८५-८६के आर्थिक व्यौरके १३६ वें पैरेमें अुस समयके अर्थ मंत्री सर ऑकलैण्ड कॉलविनने (लड़ाअियोंका खर्च छोड़कर) सेनाके ख़ालिस खर्चका अन्दाज़ लगभग १५ करोड़ रुपये सालाना बताया था । अुन्होंने कहा था कि अिस रकमको हिन्दुस्तान और अंग्लैण्डका साधारण फ़ौजी खर्च समझा जा सकता है । अिससे किसी भी हिन्दुस्तानी सरकारको फ़ौजी खर्चका अेक अँसा पैमाना मिल जाता है, जिसे चीज़ोंके बदलते हुअे भावोंको देखते हुअे ठीक कर लिया जाय । अिस तरह कमीवेशी करनेपर सैनिक खर्चके लिये नीचे लिखे माप क़ायम होते हैं :

१८५९-६० से १८९९-१९००	१५ करोड़
१९००—१ से १९१४-१५	२० करोड़
अुसके बादसे	३० करोड़

अिस हिसाबसे देखा जाय तो हिन्दुस्तानकी फ़ौजको साम्राज्यके कामोंके लिये रखनेसे जो बहुत ज़्यादा सैनिक खर्च हुआ है और जिसे ग्रेट ब्रिटेनको बर्दाश्त करना चाहिये था, वह ६०० करोड़से कुछ अ़ुपर होता

१. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमिशन, १८९५, जिल्द ४, पृ. १४९

है। हिन्दुस्तानी करदाताके साथ अिन्साफ़ किया जाय, तो यह रक़म भी हिन्दुस्तानको वापस मिलनी चाहिये।

झूठे खर्चकी रक़मोंपर दिया गया ब्याज

कार-व्यवहारके सारे सिद्धान्तोंका तक्राज़ा है कि जहाँ कोअी रक़म ग़लत नामपर लिखी गयी हो और उस कर्ज़पर ब्याज दिया गया हो, तो अैसे ब्याजकी रक़म वापस मिलनी चाहिये। अगर हिन्दुस्तानका मूल ऋण ही ग़लत साबित हो जाय, तो यह माँग करना बिलकुल वाजिब है कि उस ऋणके सम्बन्धमें दिया हुआ सब रुपया वापस किया जाय।

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ब्याजकी अिन रक़मों का जो दावा किया जाता है, वह किसी प्रासंगिक हानिके बदलेमें नहीं किया जाता, बल्कि जो नुक़सान सचमुच हुआ है, उसका दावा किया जाता है। अैसी सूरतमें ब्याज खुद मूलधन होता है। चूँकि वह ग़लतीसे दिया गया है, अिसलिअे उसका दावा किया जाता है।

अगर शुरूमें ही ये रक़में ठीक ठिकानेपर नामें लिखी गयी होतीं, तो ब्याजकी रक़में अंग्रेज़ी खज़ानेपर पड़तीं। चूँकि अंग्रेज़ी खज़ानेको अुतनी राहत मिली थी, अिसलिअे अिस दावेका अितना ही मतलब है कि जिस पक्षको शुरूमें रुपया अदा करना चाहिये था वह अब चुका दे। बेपारी रिवाजको सख़्तीसे लागू किया जाय, तो उसमें साधारण ब्याज देनेकी, ही गुँजायश नहीं है बल्कि अिस तरहकी रक़मोंपर भी ब्याज देनेकी यानी ब्याज दर ब्याज चुकानेकी भी गुँजायश है। लेकिन अभी तो दावा अितना ही है कि जो कुछ हिन्दुस्तानके कोषसे सचमुच निकाला जा चुका है, वह लौटा दिया जाय।

चूँकि ब्याजकी रक़में दर साल चुकायी गयी हैं, अिसलिअे सत्तर सालसे ज़्यादा मियादमें मूल ऋण तिगुनेसे अधिक हो जाता है। लेकिन यह बसकी बात नहीं; क्योंकि मूल रक़में जो नामें लिखी गयी थीं, उसका खुद अंग्रेज़ोंने विरोध किया तब भी वे सालकी साल बराबर वसूल की जाती रही हैं।

सरकारी क़र्ज़ोंपर ब्याजकी दर समय समयपर ३½ से ७ फ़ी सदी तक रही है और यह तय करना कठिन है कि दावा किस दरका किया

जाय । तमाम सरकारी क्रजोंकी औसत दर ४% आती है और इसलिअे यह अर्ज है कि अिन रकमोंको ४% साधारण व्याजके हिसाबसे ब्रिटेनसे वसूल करना बेजा नहीं माना जाना चाहिये । बाहरी लड़ाअियोंके खर्च पर, औस्ट अिण्डया कम्पनीकी पूँजी और व्याजको बरी करनेके लिअे जो रकम दी गअी अुसपर और 'लड़ाअीके दान' पर व्याजका यह हिसाब लगाया जाय, तो वह ५७० करोड़ रुपयेसे ज़्यादा होता है । सन् १८६० से व्याजके रूपमें कुल रकम जो दी गअी है वह १२०० करोड़ रुपयसे अधिक होती है । अिस तरह हमारे दावोंका मतलब यह होता है कि ब्रिटिश खज़ानेका भार हल्का करनेके लिअे हमारे कोषसे जितना रुपया दिया गया है, अुस सबका लगभग आधा हमें लौटाया जाय ।

४

मौजूदा ज़माना

दानकी युक्ति

यहूदियोंकी पुरानी परम्परामें अेक अैसा रिवाज था कि अगर लड़का अपनी जायदादको 'कोर्बन' या दान बता देता, तो वह अुसे माँ-बापके काममें आनेसे बचा सकता था । अुस वक़्तसे लड़का माँ-बापके भरण-पोषणकी सारी ज़िम्मेदारीसे बच जाता था । यह कर्त्तव्यसे अेक तरहकी अपने आप ली हुअी युक्ति है । अिसी क्रिस्मकी कुछ तरकीबें ग्रेट ब्रिटेनकी भी निकालनी थीं, ताकि बीसवीं सदीके प्रकाशमें भण्डाफोड़ होनेसे बचा जा सके । पहले महायुद्धमें ग्रेट ब्रिटेनको हिन्दुस्तानमें बहुत भारी खर्च करने पड़े, परन्तु ब्रिटिश खज़ानेवाले अिस भारको अुठानेके लिअे तैयार नहीं थे । अिसलिअे अुन्होंने अपने दिल्लीके गुमास्तोंको यह घोषणा करनेको कह दिया कि यह रकम हिन्दुस्तानकी तरफसे ग्रेट ब्रिटेनको दान की गअी है । अिस 'दान' कही जानेवाली चीज़का ग्रेट ब्रिटेन और हिन्दुस्तानके आर्थिक लेन-देवकी जाँच करनेवाली कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीने विरोध किया है । अिस कमेटीमें बम्बअी सरकारके दो पिछले मशहूर

बड़े सरकारी वकील भी थे । उनकी रायमें, जैसा उनकी १९३१में प्रकाशित रिपोर्टसे ज़ाहिर है, भारत सरकार जिन क़ानूनोंके मातहत काम करती है उनके अनुसार उसे हिन्दुस्तानके खज़ानेसे ग्रेट ब्रिटेनको दान देनेका कोई भी अधिकार नहीं था । जिसलिसे इस तरहके दान ग़ैरक़ानूनी लेन-देन हुअे । लेकिन ग्रेट ब्रिटेनके जो जीमें आये उसे करनेसे कौनसा क़ानून या हुक़म रोक सकता है ? क्या वह दुनियाकी अेक अव्वल दर्जेकी ताक़त नहीं है, जो दुनियामें सलामती क़ायम रखती है और अणु बम बनानेवाले अमरीकाके साथ मिलकर चलती है ? जिसलिसे बात यह है कि वह सभी क़ानूनोंसे परे हैं और उसके हाथसे कोई बुराभी हो नहीं सकती ।

जो रक़में दरअसल दे दी गयी हैं और जिनके कुछ भाग हमारे नामे लिखे गये हैं, उनके अलावा ग्रेट ब्रिटेनने जान बूझकर या अनजानमें दूसरे मामलोंमें भी अपने सिरपर क़र्ज़ कर लिया है । सरकारकी विनिमय-नीति और १९२०-२१के रिर्वर्स कौन्सिल (अुल्टी हुण्डी)के व्यापारसे हिन्दुस्तानको बहुत भारी नुक़सान हुआ । उस अेक सालमें ही यह नुक़सान २३ $\frac{१}{२}$ करोड़का हुआ था ।

विनिमयके सवालपर मि० मैकडोनल्ड लिखत हैं :

“ हिन्दुस्तानके खर्चकी अेक और मद हिन्दुस्तानके लिसे अितनी बेजा है कि उसकी तरफ़ ध्यान दिलानेकी ज़रूरत है । बहुत असें तक रुपयेका सोनेके साथ १ : १० का अनुपात था, यानी ग्रेट ब्रिटेनमें १८७३-४में रुपयेके बदलेमें २ शिलिंग मिलते थे । फिर वह गिरने लगा और उसमेंसे २ $\frac{३}{४}$ पेंस घट गये । धीरे धीरे वह बराबर घटता गया और अेक पेंसका फ़र्क़ भी हिन्दुस्तानके ऋणमें अेक करोड़ रुपया बढ़ा देता था; क्योंकि उसे सोनेके आधारपर चुकाना पड़ता था । १८९५में वह गिरते गिरते १ शिलिंग १ पेंस रह गया ; टकसालें बन्द कर दी गयीं और अैसी नीति शुरू हो गयी, जिससे रुपया प्रतीक बन गया और उसकी रिवाजी क़ीमत १ शिलिंग ४ पेंस हो गयी । जिन अफ़सरोंको घरपर रुपया मेजना पड़ता था, उन्हें बुरी तरह नुक़सान हुआ । १८९३से ज़्यादातर यूरोपियनोंके वेतन बढ़ा दिये गये और उसे विनिमयकी क्षतिपूर्तिका भत्ता कहा गया ।

१९१२में रुपयेकी क्रीमत तय हो जानेके कारण सरकारने अेक फ़ैसला जारी करके अिस विनिमय भत्तेके यूरोपियनोंकी तनख्वाहें बढा दीं, यह भी हिन्दुस्तानी करदाताके साथ अन्याय है । बेशक, अफ़सरोंको नुक़सान न होना चाहिये, लेकिन विनिमयके कारण अुनके वेतनपर असर पड़े, तो यह हिन्दुस्तानके सोचनेकी बात हरगिज़ नहीं है, साम्राज्यके सोचनेकी है । और ये फ़ालतू भत्ते ब्रिटिश खज़ानेसे मिलने चाहियें ।

“ असलमें यह सवाल अिससे ज़्यादा व्यापक है । जब हिन्दुस्तानके विनिमयमें अितनी ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, तब गड़बड़ तमाम चाँदीके सिक्केवाले देशोंमें बराबर हुआ । लेकिन हिन्दुस्तानकी गड़बड़की बहुत कुछ ज़िम्मेदारी ब्रिटेनकी भारतीय नीतिपर है और ग्रेट ब्रिटेन पर हिन्दुस्तानके निर्भर रहनेसे यह मुश्किल बहुत बढ गयी ।

“ विनिमयका विवाद लम्बा-चौड़ा और पेचीदा है, और कभी बातोंमें साफ़ भी नहीं है, लेकिन चूँकि रुपयेकी समस्याको बहुत नाजुक बना देनेवाली नीतिकी ज़िम्मेदारी अिस देशपर है, अिसलिअे रुपयेकी क्रीमतकी कमीका सारा खर्च अुसे हिन्दुस्तानपर ही नहीं डाल देना चाहिये था और जो खर्च लन्दन-सरकारको और अुसके अपने नौकरोंको हिन्दुस्तानमें रुपया देनेमें हुआ, वह तो हिन्दुस्तानके सिरपर पड़ना ही न चाहिये था । ”^१

फुटकर खर्चके अिस मदमें सौ करोड़से ज़्यादाका दावा होगा ।

दुरुपयोग

चूसना : अिन आर्थिक सम्बन्धोंके सिवाय, ग्रेट ब्रिटेन समझता तो अपनेको हिन्दुस्तानका संरक्षक है, मगर अुसकी कोशिश यह रही है कि धरोहरको अपने ही काममें ले । साम्राज्य सरकारके गुमास्ते हिन्दुस्तानमें आभी० सी० अेस० और आभी० पी० अेस० के लोग रहे हैं । अुन्हें जो वेतन मिलता रहा है, वह क्लाअिवके ज़मानेके डाकुओंकी लूटके बराबर ही है । हमारे देशके लोगोंकी आमदनीके साथ अिन भारी तनखाहोंका कोअी मेल नहीं बैठता; लेकिन अिस वक़्त जब राष्ट्रीय सरकार आ रही है, ब्रिटिश साम्राज्यवादके ये गुर्गे घबरा रहे हैं और भारतकी राष्ट्रीय हुकूमतकी नौकरी करनेको रज़ामन्द नहीं होते ।

१. गवर्नमेण्ट ऑफ़ अिण्डिया, पृष्ठ १५५

व्हाइट हॉलमें बैठनेवाले अिनके मालिक अिन्हें साम्राज्यवादी ग्रेट ब्रिटेनकी कृपासे हाथ धो बैठनेका हर्जाना देना चाहते हैं । लेकिन फिर भी ये अपनी परम्पराके अनुसार जो हर्जाना तय हो, उसे खुद बर्दाश्त न करके हिन्दुस्तानसे दिलवानेकी कोशिशमें हैं ।

पिछली लड़ायी अैसी थी जिससे हिन्दुस्तान अलग रहना चाहता था, फिर भी हमारे लाखों आदमियोंको बहकाकर ब्रिटिश अण्डेके नीचे लड़नेको ले जाया गया । अब ये लोग सेनासे अलग किये जा रहे हैं । अिन्हें पुरस्कार कौन दे, ग्रेट ब्रिटेन या हिन्दुस्तान ? लेकिन हिन्दुस्तान अपने ज़बर्दस्त 'संरक्षक'के आगे लाचार है और अिसलिअे ग्रेट ब्रिटेनकी सेवाके बदलेमें अुन्हें हिन्दुस्तानकी ज़मीनें दी जा रही हैं । आश्चर्य यही है कि हिन्दुस्तानकी ज़मीनके जिन छोटे छोटे टुकड़ोंपर अितनी भीड़ है अुनके बजाय आस्ट्रेलिया और कनाडाकी लम्बी-चौड़ी ज़मीनें अिनाममें क्यां नहीं दी जातीं ?

५

गिरवी रखकर कर्ज़ देनेका ज़माना

कागज़ी कर्ज़

पिछले अध्यायोंमें हमने देख लिया कि ग्रेट ब्रिटेनको ज़रूरत होनेपर अुसने हिन्दुस्तानके मत्थे मद़कर रुपया वसूल करनेके लिअे क्या क्या तरीक़ों की हैं । अिस परम्पराको साम्राज्यका निर्माण करनेवाले क्लाअिवने शुरू किया था । लेकिन अुसकी बेहया लूटमें कमसे कम अितनी तारीफ़की बात अवश्य थी कि वह खुली थी और कोअी बात छिपानेकी कोशिश नहीं की जाती थी । अुसके बादके लोगोंने जो तरीक़े अपनाये अुनमें लेन-देनके असली हेतुको छिपानेकी अेकसे अेक बढ़कर कोशिश की गयी । अीस्ट अिण्डिया कम्पनी भी क्लाअिवके बनाये हुअे रास्तेपर ही चली, लेकिन अुसने हिन्दुस्तानकी दौलतको ग्रेट ब्रिटेन पहुँचा देनेका अेक ज़यादा आसान, मगर पोशीदा अुपाय काममें लिया । वह हिन्दुस्तानके खज़ानेसे

रुपया लेकर उससे यहाँ माल खरीदती और ग्रेट ब्रिटेनमें विक्रीके लिये भेज देती। जिस तरीकेमें ब्रिटिश खजानेवालोंने यह सुधार किया कि हिसाबकी वारीक चालवाज़ियोंसे वे तरह तरहके खर्चें हिन्दुस्तानके नामें लिख दिये गये जो साम्राज्यवादकी लड़ावियोंपर हुअे थे और कानूनसे ग्रेट ब्रिटेनपर पड़ने चाहिये थे। मामूली आदमीके लिये आँकड़ोंकी भूलभुलैयाँ पार करके असलियत तक पहुँच सकना लगभग असम्भव होगा। पहले महायुद्धमें अंक और भी अच्छा और आसान तरीका निकाल लिया गया। जिसके जरिये लड़ावियोंके खर्चकी बड़ी बड़ी रकमें दान खाते लिख दी गयीं। यह 'दान' भारत सरकारने दिया और भारत सरकार व्हाइट हॉलका एक मातहत महकमा मात्र थी। जिस तरहसे जो बात दर असल कर्ज लेकर मुकर जानेकी थी, उसीको अमीमानदार और प्रतिष्ठाका जामा पहना दिया गया।

हिन्दुस्तानके रुपयेसे ग्रेट ब्रिटेनका पेट भरनेकी योजनामें जो ताज़ा विकास हुआ उसका नमूना हमें दूसरे महायुद्धमें मिलता है। जिस तरीकेमें यह दिखानेकी कांशिश की गयी है कि अिकरारनामा अमीमानदारीसे हुआ है। जिसमें देशसे जो माल ले जाया गया उसके बदलेमें रसीद दे दी गयी, मगर हमारे देशको उसके अधार दिये हुअे मालका मुनाफ़ा नहीं होने दिया गया। यह कितना आसान तरीका है। रिज़र्व बैंकके कानूनमें अंक कसर है।^१ चलनके नोटोंकी पुश्तीके नियममें पासा, जिसका असली मूल्य होता है और पौण्डके कागज़ जिनमें सिर्फ़ ग्रेट ब्रिटेनकी साख होती है जिस कानूनसे अंक ही दर्जेमें रख दिये गये। यह अर्थनीतिके अच्छे असूलोंके खिलाफ़ है। जिस सूक्ष्म नियमका फ़ायदा अुटाकर बेशुमार नोट चलनमें डाल दिये गये हैं। 'स्टर्लिंग सिक्क्यूरिटी'का बड़ा नाम देकर हज़ारों करोड़की कागज़ी रसीदें रिज़र्वबैंक ऑफ़ अिण्डियामें रख दी गयीं और अुतनी ही रकमके चलनके नोट छाप दिये गये।

१. रिज़र्व बैंक ऑफ़ अिण्डिया अैक्टकी दफ़ा ३३, अुपधारा २में जहाँ चलनकी पुश्तीकी चर्चा की गयी है, लिखा है कि सारी पूँजीका कमसे कम ३० सोनेके सिक्कों, सोनेके पासों या पौण्डके कागज़ोंमें होगा।

अिस तरहमे क्रय-शक्ति आसानीसे तैयार करके उससे अनाज, पाट, चाय वगैरा क्रीमती जिन्से सुभीतेके कण्ट्रोल भावसे जुटा दी गयीं और युनाइटेड किंगडम कमर्शियल कॉरपोरेशन नामकी खास तौरपर बनायी गयी सरकारी आडतके मारफत देशसे बाहर भेज ही गयीं । अिस तरकीबसे ग्रेट ब्रिटेनने रुके लिख लिखकर बेपारी जिन्से ले लीं और हिन्दुस्तानका अपनी पैदावार बिना व्याज अधार देनी पड़ी । हमारे नोटोंका चलन फुलावट करके शुरूकी मात्रासे सात गुनेसे भी ज्यादा कर दिया गया है, मगर उस हिसाबसे बाहरसे मँगाकर या भीतरी पैदावार बढ़ाकर जिन्सोंकी मात्रा नहीं बढ़ायी गयी । अिसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देशमें फुलावटकी हालत ऐसी पहले कभी नहीं हुयी थी । जिन स्टॉलिंग सिक्कूरिटियोंके बहुत जमा हो जानेसे भारत सरकारका पावना अितना बन गया अुनका जिक्र करते हुअे ब्रिटिश अर्थ मंत्रीने कॉमन्स सभामें ध्यान दिलाया था कि भारत सरकारकी अुदारतासे ब्रिटिश खज़ानेका बहुत राहत मिली है ! करोड़ों बेज़बान और भूखे लोगोंको नुकसान पहुँचाकर यह अुदारता खूब रही !

यूनाइटेड किंगडम कमर्शियल कारपोरेशनके कारनामे

अिस बड़े आर्थिक कारवारमें यूनाइटेड किंगडम कमर्शियल कारपोरेशनने जो कारनामे किये अुनके बारेमें अिस संस्थाके सभापति सर फ्रांसिस जांज़फ़ने लन्दनमें कहा था—“ जब जून १९४०में कारपोरेशनने हिन्दुस्तानमें काम शुरू किया तब बहुत क्रिस्मका माल मध्यपूर्वमें पहुँचाना जरूरी था . . . हिन्दुस्तान मित्र राष्ट्रोंका अुस वक़्त माल पहुँचानेका अेक खास अड्डा था । भारत सरकारकी मददसे कारपोरेशनने जिस सामानकी सख़्त जरूरत थी वह जल्दी ही वहाँसे ले लिया । हिन्दुस्तानके गेहूँको जल्दी ही जहाज़ोंद्वारा भेजकर अीरानको १९४१के तसन्तमें और शुरूकी गरमियोंमें अकालके कष्टोंसे बचा लिया गया । अीरानको हिन्दुस्तानसे शकर-चाय-जैसी ख़ूराककी चीज़ें, कपड़ा वगैरा तैयार माल और कच्चा माल मिल गया । जो माल जहाज़ोंके जरिये भेजा गया, अुसमें मिक़दारमें हज़ारों टन सीमेण्टसे लगाकर दवाअियोंके छोटे छोटे पारसल तक थे । मध्यपूर्वमें सीरिया और फ़िलस्तीन दूसरे देश थे जहाँ हिन्दुस्तानसे लेकर माल भेजा

गया। तुर्कीको लोहा, फ़ौलाद, सूत, टसरका कपड़ा, पाटके थैले, रस्सियाँ और कच्चा चमड़ा मिला। . . . यह स्पष्ट था कि रूसकी कुछ ज़रूरतें हिन्दुस्तान पूरी कर सकता था। इसलिअे जिन्सोंकी लम्बी फ़ेहरिस्त बनाकर उनकी माँग फ़ॉरन् भेज दी गयी। सबकी मात्रा बड़ी बड़ी थी और उन्हें जल्दी मुहैया करना था। इस सूचीमें ऐसी ऐसी चीजें थीं जैसे टाटके थैले, पाटकी रस्सी, सूती केनवास, कच्चे चमड़े, चपड़ी, चाय, मूँगफली, तम्बाकू और काला सीसा। दर असल कितने कितने टन माल भेजा गया, इसकी विगत देना तो सम्भव नहीं है, मगर रूसके लिअे हिन्दुस्तानमें कितना लम्बा-चौड़ा व्यापार किया गया इसका अन्दाज़ इस अेक बातसे लग सकता है कि हालमें अेक ही माँग १ करोड़ १० लाख टाटके थैलोंकी की गयी थी।”

यह अहमदकी टोपी महमूदके सरपर रखना हुआ। हम अीरानको अकालसे बचायें, मगर जिस हिन्दुस्तानको पहले ही खाने और पहननेको कम मिलता है वह ऐसी जगह नहीं है जहाँसे यह ख़राक और यह सारा क्रीमती सामान कागज़ी पुरज़ोंके बदलेमें छीन लिया जाय और वह भी सरकारके मुक़रर किये हुअे दामोंपर! हिन्दुस्तानको बदलेमें कोअी जिन्स नहीं मिली। यह अेक बात ही फुलावटके लिअे काफ़ी थी, क्योंकि यह जो माल बाहर भेजा गया सो कोअी फ़ालतू पैदावार नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर देशके मामूली ज़खीरेमेंसे लिया गया था। कुछ भी हो, आधा भूखा और आधा नंगा हिन्दुस्तान वह स्थान नहीं था जिसे अपना पेट काटकर ग्रेट ब्रिटेनको रुपयेकी अर्थनीतिसे मदद देनेको कहा जाय।

हिन्दुस्तानका कागज़ी सिक्का ग्रेट ब्रिटेनकी लड़ाअीकी खरीदारियाँ और खर्चोंकी क्रीमत चुकानेके लिअे बढ़ा दिया गया था और इसके लिअे गवर्नर जनरलके फ़रमान जारी कर करके साधारण अंकुश दूर कर दिये गये थे।

पौंडके कागज़की बेसलामती

जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, ‘स्टर्लिंग सिक्क्यूरिटीज़’ सिर्फ़ ग्रेट ब्रिटेनकी साखकी निशानी है और अेक तरहसे खालिस रुक्के हैं। रुक्केकी क्रीमत रुक्का देनेवालेकी साखपर निर्भर होती है और साख क़र्ज़ लेनेवालेके लेने और देने पर आधार रखती है। इस मामलेमें

ग्रेट ब्रिटेन ऋणी था । वह हर साल लड़ाईपर औसत ५०००० लाख पाँडके हिसाबसे खर्च करता रहा है और जिस ज़बरदस्त खर्चको पूरा करनेके लिये उसे मजबूर होकर पूँजी निकालनेका कार्यक्रम रखना पड़ा रहा है और उसे अपनी हज़ारों करोड़की विदेशी सिक्कूरिटियोंको भुनाना पड़ा है । यह दर असल गिरती हुयी साखकी बहुत बुरी हालत है । जैसे ऋणीके हक्के जिसकी स्टार्लिंग सिक्कूरिटियोंपर लड़ाईके बाद बरसों तक भी व्याज मिलनेकी सम्भावना न हो, किस कामके ! अगर जिस पावनेपर रुपया न मिल सके, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेनके रुपयवाले लोग चाहते हैं, तो हिन्दुस्तान विदेशोंसे माल लेनेके लिये उसे काममें नहीं ले सकता । ले सकता है तो ग्रेट ब्रिटेनकी सुविधा और अिच्छाके अनुसार ही ले सकता है । जिस तरहसे ग्रेट ब्रिटेनका रुपय पैसेका सुभीता करनेके लिये हिन्दुस्तानकी राजनीतिक पराधीनताका बेजा फायदा अठाकर उसे जो चीज़ हक्केसे मिलनी चाहिये, उससे वंचित रखा गया है ।

क्रयशक्तिकी पायेदारी

पायेदार सिक्केकी ज़रूरत हमारे देशके लिये बहुत बड़ी है । हमने देख लिया कि चलनके नोटोंकी मात्रा हमारी ज़रूरतोंका खयाल किये बिना बढ़ाई जा रही है । जिससे रुपयकी क्रयशक्तिमें भारी अतार-चढ़ाव होता है । अद्योगवाले देशकी बात दूसरी है । खेतीवाले देशको विनिमयका ऐसा ज़रिया चाहिये जिसकी टोस पुरती हो, ताकि क्रयशक्ति स्थायी रहे । जिसका कारण यह है कि अद्योगवाले देशोंमें चलनके सिक्के या माध्यमके मामलेमें समयका कांअी खास महत्त्व नहीं होता । अेक पूँजीपतिका माल बिकत ही उसे दाम मिल जात हैं और वह तुरन्त अपने बैंकको दे देता है । मज़दूरका मज़दूरी मिल जाती है और वह उस क्रयशक्तिके बदलेमें काम आनेवाली चीज़ें हफ्ते या महीने भरके भीतर जुटा लेता है । उससे पहले रुपयकी क्रिमतमें कांअी फर्क नहीं पड़ता । अधर, खेतीवाले मुल्कमें किसान अपनी पैदावार फसल कटनेके बाद बेचता है और चूँकि गाँवमें बैंककी सुविधा नहीं होती, जिसलिये उसे अपने मालके दामोंको अगली फसल कटने तक जैसे-तैसे बचाकर रखना पड़ता है । जिसलिये किसानके लिये ऐसा माध्यम रखना ज़रूरी है

जिसकी अपनी क्रीमत हो और वह स्थिर हो' और जिसे वह आसानीसे बटोरकर रख सके। इस तरह किसानोंकी धन गाड़कर रखनेकी आदत कोभी ऐसा दुर्गुण नहीं है जो ठीक न हो सके, बल्कि ऐसी अनिवार्य आवश्यकता है जो उनके मौसमी धन्धेके कारण पैदा होती है। धन गाड़कर रखना तभी बन्द हो सकता है, जब अनेक तरहकी सहयोग-समितियोंका बढ़िया संगठन हो जाय और वह पैदावारका माल लेकर बैंक दे और बीचके समयमें किसानोंको रुपया-पैसा देता रहे। जब तक हम देहाती आबादीके लिये ऐसी सुविधाएँ नहीं कर देंगे तब तक ज़मीनमें धन गाड़कर रखनेसे अेक बुनियादी ज़रूरत पूरी होती रहेगी और इस कामके लिये सोना जुटाना ही पड़ेगा। धन गाड़नेका मौजूदा अर्थ-व्यवस्थामें क्या स्थान है, यह समझे बिना उसकी निन्दा करना महज़ अज्ञान या बेदर्दी ज़ाहिर करता है।

हमारा देश खेतीवाला है। यहाँ माध्यमसे दो काम निकलते हैं — (क) अेक तो विनिमयके साधनका और (ख) दूसरा क्रयशक्ति बटोरकर रखनेके ज़रियेका। अक्सर यह पहलेसे दूसरा काम ज़्यादा निकलता है। हमारे यहाँके आम लोग बिना कमायी आमदनी खानेके लिये रुपया नहीं लगाते, उन्हें अितनेसे सन्तोप है कि उनकी पूँजी ज्यों की त्यों बनी रहे। इसलिये चलन नोटोंकी यह पुदती अुड़ जाय या उनकी असली क्रीमत घट जाय तो वह हमारे देशके लिये बड़े महत्त्वकी बात है। जर्मनी-जैसे बहुत अुद्योगवाले देशमें भी ज़रूरतके मारे लोगोंने धन गाड़कर रखनेका आसरा लिया था। जब फुलावट बहुत बुरी तरह बढ़ गयी, तब जर्मनीके लोगोंने अपना रुपया जल्दीसे जल्दी निकलवाकर जो जिन्स उनको मिल सकी उसीका जुटाकर आगे काम आनेके लिये अपनी क्रयशक्तिको गाड़कर रख दिया। किसानों तक ने मशीनेँ और पैदावारके औज़ार जुटा लिये। ये उनके कभी काम न भी आते, तो भी अिनसे आगेके लिये उनकी क्रयशक्ति बनी रह गयी। हमारे चलनके इस कामपर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। इस पहलूको मजबूत करनेके लिये यह ज़रूरी है कि हमारे चलनकी असली क्रीमत कायम रखी जाय। इसके लिये नोटोंके बदले लोगोंके लिये सोनेके रूपमें काफ़ी पुदती

रखी जाय या अन्हें पासे मिलनेकी सहूलियत दी जाय । अिस क्रिसमके विनिमयके माध्यमके बजाय आजकल तो स्थायी रूपसे अैसे नोट जारी किये जात हैं, जिनकी क्रयशक्ति बड़ी नापायेदार होती है ।

अिस बातकी बड़ी चर्चा हुआ है कि हिन्दुस्तानका अिस लड़ाअीसे फायदा हुआ है और वह पहलेकी तरह ग्रेट ब्रिटेनका कर्जदार न रह कर साहूकार बन गया है । जब तक दुनियाकी मण्डियोंमें स्वतन्त्र रूपसे खरीदारी करनेकी स्थिति नहीं हो जाती, तब तक हिन्दुस्तानको अिस बातसे सन्तोष नहीं हो सकता कि हमारे लाखों देहातियोंने कष्ट अुठाकर और भूखों मरकर जो माल दिया है अुसका पावना कागज़के रूपमें लन्दनमें जमा रहे । असली जिन्से देकर बहुत भारी क्रामत चुकाअी गअी है, क्योंकि वे कण्ट्रोलके भावोंसे ली गअी हैं और अिस लन्दनमें खुद माल पैदा करनेवालोंकी जरूरतोंपर कोअी ध्यान नहीं दिया गया । अिस तरह हमारे देशका पावना बननेमें भी हम ज़्यादा गरीब हुआ हैं । यह भाग्यकी बलिहारी है ! हम अिस साहूकार हैं, जो अपने कर्जदारोंकी मर्ज़ीपर निर्भर हैं ।

पिछले सात सालके भीतर ब्रिटेनको जो माल और लड़ाअीका सामान दिया गया है, अुसके बदलेमें सैंतीस सौ कराड़ रुपया हिन्दुस्तानके खातेमें जमा किया गया है । अिसमेंसे चार सौ कराड़ रुपया तो, जिसे 'सरकारी कर्ज' कहा जाता है, अुसके पेटे काट लिया गया है और सत्रह सौ कराड़ रुपया यह कहकर हमारे नामें लिखा गया है कि यह लड़ाअीके खर्चका हमारा हिस्सा है, हालांकि सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तान अिस लड़ाअीमें कभी पड़ा ही नहीं । अिस सबके बाद जो सोलह सौ कराड़ रुपया बाकी बचा, अुसके बारेमें अब समझौतेसे फ़ैसला करनेकी कोशिश हो रही है ।

गवन

डॉलर कोष : लेकिन ग्रेट ब्रिटेनका अपना रही कागज़ स्टॉलिंग सिक्कयोरिटीज़के रूपमें गिरवी रखकर और सैंतीस सौ करोड़ रुपया खींचकर ही सन्तोष नहीं हुआ, अुसने हिन्दुस्तानके खानगी लोगोंके पास डॉलरके रूपमें और पौण्डके कागज़के सिवा दूसरे रूपमें जो सम्पत्ति थी, अुसे

भी हड़प लिया । जिस सारे मालमतेपर झंझरदस्ती कब्जा करके उसे ग्रेट ब्रिटेनके लाभके लिये लन्दनमें अेक डॉलर कोषमें रख दिया गया । आज तक हमें यह पता नहीं है कि हिन्दुस्तानसे लूटा हुआ कितना रुपया जिस डॉलर कोषमें है ।

६

अपसंहार

हमने अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके १८ वीं सदीके आर्थिक गुरुघण्टाल लॉर्ड क्लाबिसे लगाकर २० वीं सदीके दूर दूर तक फैले हुअे ब्रिटिश साम्राज्यके आर्थिक गुरुघण्टाल लॉर्ड केनीज़ तक लम्बा सफ़र कर लिया । अिन लोगोंने जितने भी आर्थिक पाप हो सकते हैं, सब किये । फ़र्क अितना ही था कि लॉर्ड क्लाबिसेमें भले ही अपने बादके प्रतिनिधि (लॉर्ड केनीज़) की-सी सभ्य भाषा न रही हो, मगर उसके साहसके कामोंमें ताज़गी थी । अिन लोगोंकी नीति कमज़ोर जातियोंके साधनोंका दुरुपयोग करके अुन्हें बेहयाअीके साथ चूसते रहनेकी ही रही है । यह साम्राज्य लोभसे पैदा हुआ, लूटसे मोटा हुआ और झूठका जामा पहनकर शानदार बना है ।

सन् १९३१ में करौंची काँग्रेसके मौक़ेपर अेक सिलेक्ट कमीटी जिस वास्ते मुक़रर हुअी थी कि वह अीस्ट अिण्डिया कम्पनी और हिन्दुस्तानके अंग्रेज़ी राज्यके लेन-देनकी और भारतके “सरकारी ऋण”की छानबीन करे और रिपोर्ट पेश करे कि आयन्दा आर्थिक भार कितना हिन्दुस्तान अुठायाँ और कितना अिग्लैण्ड । पूरे अथयनके लिये तो पाठकोंको कमेटीकी रिपोर्ट ही पढ़नी चाहिये, परन्तु यहाँ अुसकी आखिरी सिफ़ारिशें भी जा सकती हैं :

“जबसे अीस्ट अिण्डिया कम्पनीको राजनीतिक सत्ता मिली और हिन्दुस्तानपर अंग्रेज़ोंका कब्जा हुआ, तबसे ग्रेट ब्रिटेनकी दौलत और अिज्जत बराबर बढ़ती रही है । दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तानके लिये यह

नतीजा हुआ है कि हिन्दुस्तानके अद्योग या तो नष्ट कर दिये गये या दबा दिये गये और हिन्दुस्तान ग्रेट ब्रिटेनके तैयार माल और दूसरी पैदावारके लिभे अेक मण्डी बन गया । अिस मण्डीका विकास न होता और ब्रिटेनके अद्योगोंको बढ़ानेके काममें हिन्दुस्तानका धन अिस्तेमाल न किया जाता, तो ब्रिटेनकी आज-जैसी हालत कभी नहीं हो सकती थी । हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंको सब तरहकी सिविल और फ़ौजी नौकरियाँ मिलनेका लम्बा-चौड़ा क्षेत्र मिल गया । और अगर तनखाहों और पेन्शनोंका दिया हुआ सारा रुपया जोड़ा जाय तो उनका आँकड़ा भी बहुत भारी होगा । ब्रिटेनको सचमुच जो आर्थिक लाभ हुआ है उसके अलावा वह दुनियाकी जो अेक बड़ी ताक़त बन गया है, अिसका मुख्य कारण भी हिन्दुस्तानका उसके हाथमें होना ही है । ये बातें खुद ही अिस बातके लिभे काफ़ी कारण हैं कि हर नीति और न्यायके ख्यालसे सरकारी ऋणके रूपमें अिस वक़्त जो भी कर्ज़ा है वह सब हिन्दुस्तानके बजाय ग्रेट ब्रिटेनपर पड़ना चाहिये ।”^१

और लीजिये :

“ न्यायके हर सिद्धान्तका तक्राज़ा है कि अगर हिन्दुस्तानको राष्ट्रीय स्वराज्यका नया दौर शुरू करना है और कुछ भी अुन्नति करनी है, तो अुसे आज़ादीके साथ और बिना किसी भारके काम शुरू करना चाहिये । हिन्दुस्तान अब और ज़्यादा कर नहीं सह सकता । अिसलिभे हिन्दुस्तानकी तरक़्की अिसी तरह हो सकती है कि राष्ट्रकी आमदनी राष्ट्रके कामोंमें लगायी जाय और देशके सिविल और फ़ौजी बन्दोबस्तपर राष्ट्रीय खर्च अपनी ज़रूरतके माफ़िक घटाया जाय और जो सरकारी ऋण हिन्दुस्तानकी भलाअीके लिभे नहीं लिया गया हो उसके भारसे अुसे मुक्त किया जाय; तभी अैसी बचत हो सकती है, जो हिन्दुस्तानकी भलाअीके कामोंमें यानी शिक्षा, सफ़ाअी और राष्ट्रकी अुन्नतिके दूसरे अुपायोंमें लगायी जा सकती है ।”^२

१. रिपोर्ट पृ० ६०-६१

२. कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट देखिये ।

अिस कमेटीने, हिन्दुस्तानपर जो नीचे लिखे गलत खर्चें डाल दिये गये हैं, उनकी तरफ़ ध्यान दिलाया है :

साल	दावेका विषय	रकम करोड़ोंमें
१८५७ से पहले	कम्पनीकी बाहरी लड़ाभियाँ	३५,०००
	कम्पनीकी पूँजीका ब्याज	१५,१२० ५०,१२०
१८५७	'ग़दर'का खर्च	४०,०००
१८७४	कम्पनीकी पूँजीका ब्याज	१०,०८०
	अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजीके हिस्सोंकी मुक्ति	१२,००० २२,०८०
१८५७-१९००	बाहरी लड़ाभियोंका खर्च	३७,५००
१९१४-१९२०	यूरोपकी लड़ाओंमें दान	१,८९,०००
	„ खर्च	१,७०,७०० ३,९७,२००
१८५७-१९३१	फुटकर खर्च	२०,०००
	बर्माके बारेमें	८२,००० १,०२,०००
१९१६-१९२१	अुल्टी हुण्डियोंका घाटा	३५,०००
	रेल्वे कम्पनियोंको सरकारने लिया असका मुनाफ़ा दिया	५०,०००
१९१६-१९२१	लड़ाओंके कामकी रेलोंका खर्च	३३,०००
		करोड़ ७,२९,४००

अुपरके दावोंमें फ़ौजी खर्चका कोअी हिस्सा शामिल नहीं है, जिसके लिअे कमेटीका कहना है कि साम्राज्यके खज़ानेके नाम लिखा जाना अुचित है । अेक सदस्यने रिपोर्टमें अेक नोट^१ जोड़ा है, जिसमें अुनके हिसाबसे यह रकम ५४०.१३ करोड़ रुपये होती है । यह रकम कम बताअी गअी है क्योकि यह फ़ौजी खर्चके चौथाअीके लगभग है, जब कि मि. रेम्जे मैक्डोनल्डको .खुद विश्वास है कि हिन्दुस्तानकी कमसे कम आधी सेना साम्राज्यकी सेना है और अुनका सुझाव है कि असका खर्च साम्राज्यके खज़ानेसे दिया जाना चाहिये ।

१. कांग्रेस मिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट देखिये

असके सिवा जिस ब्याजका दावा किया गया है वह वापस नहीं लौटाया गया और रिपोर्टके दूसरे नोटमें हिसाब लगाकर बताया गया है कि कुल १०५० करोड़ रुपयोंमेंसे ५,३६००२ करोड़ रुपया वापस दिया जाना चाहिये । अस तरह हिन्दुस्तानके नाम जो रकमें बेजा तौरपर लिखी गयी हैं उनका जोड़ होता है :

अपरके हिसाबके अनुसार	७२९.४ करोड़
सालाना फ्रौजी खर्चका हिस्सा	५४०.१३ करोड़
बेजा तौरपर दिया गया ब्याज	५,३६००२ करोड़
	<u>१,८०५.५५</u>

यह १८०५ $\frac{३}{४}$ करोड़ रुपया हिन्दुस्तानी करदाताके मध्ये मड़ा गया है, लेकिन यह पड़ना चाहिये ब्रिटिश खज़ानेपर । अिन खर्चोंमेंसे ज्यादातर खर्चें ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और उससे पैदा होनेवाली लड़ाइयोंके कारण हुये हैं । यहाँ तफ़सील तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हम कहेंगे कि पाठक कांग्रेस कमेटीकी रिपोर्ट ज़रूर देखें । ग़लत तौरपर हमारे नाम लिखी गयी अिन रकमोंपर हम ५० करोड़ रुपया सालाना तो ब्याज ही दे रहे हैं । जे० रेम्जे मेकडोनल्ड कहते हैं — “ हिन्दुस्तान में जे बाहर असलिये नहीं भेजता है कि उसी हिसाबसे कुर्सियाँ बाहरसे मँगवाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले; वह मेज़े कर्ज़ चुकानेकी खातिर बाहर भेजता है । ” जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं — “ जो देश बाहरी मुल्कोंका नियमित रूपसे रुपया देता है वह दिया हुआ रुपया तो खाता ही है, अससे भी ज्यादा नुकसान उसका यह होता है कि विदेशी चीज़ोंके बदलेमें अुमे अपनी पैदावार सस्तेमें देनी पड़ती है । ” असका और भी बुरा नतीजा तब होता है जब साहूकार देशके हाथमें कर्ज़दार मुल्ककी अर्थनीति, चलन और विनिमयकी नीति होती है और माल मँगवानेका अधिकार भी उसीके पास होता है । हिन्दुस्तानका यही हाल हुआ है । असके हाथमें यह शक्ति नहीं थी कि वह अपने रुपयेका पूरा बदला वसूल कर सके; और उसकी गर्दनमें ये झूठी जंजीरें लटकाये रखकर ब्रिटेनको यह आशा है कि वह वर्षों तक हिन्दुस्तानका गला दबाये रख सकेगा । अगर हिन्दुस्तानको अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियोंमें अपनी सौदा करनेकी ताक़त फिरसे प्राप्त

करनी हो, तो उसे यह बेहोश करनेवाली जंजीरें तोड़कर अपना हक माँगना होगा ।

जो फ़ौजी खर्च हिन्दुस्तानपर डाले गये हैं, उनके बारेमें मि० मेक्डोनाल्ड लिखते हैं — “बेशक, हिन्दुस्तानके साथ अिस मामलेमें न्यायका बर्ताव नहीं किया गया । जो सैनिक कार्यवाहियाँ ज्यादातर साम्राज्यवादी थीं, उनका खर्चा उसे बर्दाश्त करना पड़ा है ।”^१ “जब हमने साम्राज्यके दूसरे हिस्सोंमें फ़ौजें रखीं, तो उपनिवेशोंपर उनका खर्च नहीं डाला । लेकिन हिन्दुस्तानमें तो हमारा कोई हाथ पकड़नेवाला नहीं है । जब कम्पनीका राज्य था, उसने ग्रेट ब्रिटेनसे फ़ौज अधार ली थी और उसने उस फ़ौजके हिन्दुस्तानमें रहनेका खर्च ही नहीं दिया, बल्कि उसे वहाँ ले जानेकी भी क्रिमत् चुकायी । जब कम्पनीने अधिकार ताजको सौंप दिया, तब भी सेना “अधार देने”का रिवाज कायम रखा गया क्योंकि यह झूठा रिवाज ग्रेट ब्रिटेनके खज़ानेके लिअे सुविधाजनक था । १९००में आर्थिक कमीशनकी रिपोर्टके कारण ब्रिटिश सरकार अब १३०,००० पौण्ड सालाना देती है । यह रकम फ़ौजोंके भेजे जानेका आधा खर्च मानी जाती है । अदनके फ़ौजी खर्चका आधा रुपया, यानी अेक लाख पौण्ड ब्रिटिश खज़ानेपर लगाया जाता है । बस, अिसके सिवा सारा खर्च हिन्दुस्तान देता है । अिस तरह हिन्दुस्तानके साथ अेक आज़ाद हुकूमतका-सा बर्ताव होता है, लेकिन राज अिसपर हम करते हैं और अिसकी फ़ौजी नीति हमारे हाथमें है । वह हमसे कुछ सिपाही अधार ले लेता है और उनका खर्च दे देता है । यह व्यवस्था बहुत ही असन्तोषजनक है ।” आगे चलकर वे बाहरी लड़ाअियोंके विषयमें और कहते हैं — “अिस कमीशनने अपनी रिपोर्ट १९००में दे दी । आशा है अिसने अेक और भी बड़ी शिकायत दूर कर दी । सरहदी लड़ाअियोंका और बर्माकी तरह दूसरे देशोंको मिलानेकी लड़ाअियोंका और अबीसीनियाकी मुहिमका खर्च हिन्दुस्तानी करदाताओंने दिया है । अफ़गान युद्धके खर्चके २ करोड़ १० लाख पौण्डमेंसे सिर्फ़ ५० लाख

१. जे. आर. मेक्डोनाल्डकी ‘गवर्नमेण्ट ऑफ़ अिण्डिया’ पृ० १५४

२. ” ” ” पृ० १५५

पौण्ड साम्राज्यके खजानेने दिये । ये मुहिमें दर असल साम्राज्य-नीतिके काम हैं और उनका खर्च हिन्दुस्तानपर बिलकुल न पड़ना चाहिये ।” श्री गोखले साहबने अंक बार स्थितिको अिस तरह बयान किया था — “ चीन, अीरान, अबीसीनिया और दूसरी मुहिमोंके लिअे अिंग्लैण्डने साम्राज्य-नीतिके खयालसे हिन्दुस्तानसे पिछले समयमें फ़ौजें अधार ली हैं और अिन सब अवसरोपर अिन सेनाओंका साधारण खर्च हिन्दुस्तानसे लिया गया है, अिंग्लैण्डने सिर्फ़ गैरमामूली खर्च दिया है । अधर जब हिन्दुस्तानको अिंग्लैण्डसे फ़ौज माँगनी पड़ी, जैसा कि १८४६की सिन्धकी मुहिम, १८४९की पंजाबकी मुहिम और १८५७के गदरके मौक़ेपर हुआ, तब अिन आदमियोंका पाअी-पाअी खर्च, साधारण और असाधारण, यहाँ तक कि अुनकी भरतीका खर्च भी हिन्दुस्तानसे अँठ लिया गया ।” कमीशनकी रिपोर्टने अिस ख़ास शिकायतको दूर कर दिया, लेकिन अन्यायपूर्ण व्यवहारको स्वराज्य ही पूरी तरह दूर करेगा और वही अैसी मुहिमोंका जो साम्राज्यके लिअे हों, खर्च भी साम्राज्यके खज़ानेसे वसूल करेगा ।

यह सुझाया गया है कि अिन १८ करोड़का अेक हिस्सा चूँकि चुका दिया गया है, अिसलिअे अुस हिस्सेके बारेमें हमें कोअी सवाल अुठाना नहीं चाहिये । साफ़ विचार न होनेके कारण अिस तरहकी अज़ीब दलील दी जाती है । अगर कोअी व्यापारी किसी ग्राहकके नाम १८००) रु. लिख देता है और अिसका कारण ग्राहक पूछे, अिससे पहले व्यापारी अुसपर ब्याज भी लेता रहा हो और मूल रक़म पेटे ८००) रु. भी ले चुका हो, तो क्या जिस वक्रत ग्राहक हिसाब माँगे, व्यापारीको यह कहनेका हक़ है, “ चूँकि मूलधनके मद्दे मैंने आपसे रुपया ले लिया है, अिसलिअे अब हम बाक़ी रक़मकी विगत ही देखेंगे और जो ८००) रु. चुकाया जा चुका है, अुसके बारेमें विचार करनेकी ज़रूरत नहीं ” ? अगर हिन्दुस्तानके ऋणका कोअी हिस्सा अैसा है जो चुका दिया गया है तो वह चुकाया किसने ? वह हिन्दुस्तानी करदाताने चुकाया है और अगर अुससे बेजा तौरपर लिया गया है तो अुसका मावज़ा देना पड़ेगा ।

१९३१की गोलमेज़ परिषद्में सरकारी ऋणोंके बारेमें बोलते हुअे गांधीजीने कहा था — “ कांग्रेसकी ज़ोरदार राय है कि आनेवाली सरकारको

जा जिम्मेदारियाँ अुठानी पड़ें, अुनके हिसाबकी अच्छी तरह निष्पक्ष जाँच-पड़ताल होनी चाहिये ।”

अिन १८ सौ करोड़में ३७ सौ करोड़ और जोड़े जाने चाहियें, जो १९४६ तक पिछले सात सालमें हिन्दुस्तानसे अँठ लिये गये हैं । अिस तरह झगड़ा कुल ५५ सौ करोड़ रुपयाँका है ।

चुकानेकी शक्ति

ग्रेट ब्रिटेनकी चुकानेकी शक्तिके बारेमें हम कह सकते हैं कि गरीब हिन्दुस्तानकी अिस भारी बोझको सहन करनेकी शक्तिमें, जैसा कि अुसने पिछले सात सालमें किया है, और ग्रेट ब्रिटेनकी वापस अदा करनेकी शक्तिमें कोअी तुलना नहीं हो सकती । ग्रेट ब्रिटेनकी सालाना आमदनी ९ सौ करोड़ पाँडसे अूपर है और अुसपर हमारा ऋण अिस आमदनीका बहुत छोटा हिस्सा होगा । हमें याद रखना होगा कि यह ३७ सौ करोड़का पावना ब्रिटेनके अपने आदमियोंका बनाया हुआ है, अुन्होंने ही क्रीमतेँ लगायी हैं और हिन्दुस्तानके बाज़ार भावसे बहुत नीची कण्ट्रोलकी दरें काममें ली हैं । बहुत बार तो लड़ाअीके ज़मानेमें गवर्नर जनरलको जो निरंकुश सत्ता मिली हुअी थी, अुसीके ज़ोरसे माल ले लिया गया और अिस बातका भी कोअी लिहाज़ नहीं किया गया कि लड़ाअीके ज़मानेमें सरकारने रेल्वे वगैरह जैसे भारी सामानको जो काममें लिया अुसकी कितनी ज़बर्दस्त घिसाअी और टूट-फूट हुअी है । जब माल जबरन लिया गया तो हिन्दुस्तानके लोगोंकी निरी आवश्यकताओंका भी कोअी प्रबन्ध नहीं किया गया । सन् १९४३ के बंगालमें जां ३० लाखसे ज़यादा जांनें गअीं, वे अिस बातका प्रमाण हैं । अगर हमारे-जैसे गरीब मुल्कका जिन्सोंके कमसे कम भावसे और जबरन सात सालके भीतर कमसे कम भी गिनें तो ३७ सौ करोड़ रुपयेका पावना अिकड़ा कराया जा सकता है, तो ग्रेट ब्रिटेन जिसकी राष्ट्रीय आमदनी ९ सौ करोड़ पाँड सालाना है, लम्बी मियादके समझौतेका दावा कैसे कर सकता हैं ? जैसा कि प्रो० जी० डी० अेच० कोल कहते हैं : “ यह अजीब दुनिया है जिसमें अेक मालदार और

आगे बढ़े हुअे देशको अपनेसे बहुत ज्यादा गरीब मुल्कसे उसका ऋण घटाने या लम्बी मियादमें चुकानेकी प्रार्थना करनी पड़े ।”

जाँच पड़तालकी ज़रूरत

अस छोटेसे विवेचनसे पता चल जायगा कि अंग्लैण्डने हिन्दुस्तानके साथ आर्थिक व्यवहारमें सन्देह भरे तरीकोंसे काम लिया था और १६ सौ करोड़ रुपयेके जिस “पौण्ड पावने”का अब फ़ैसला करनेकी कोशिश की जा रही है वह कोअी निश्चित और हिसाब साफ़ करनेवाला बक्राया नहीं है । वह अैसा बक्राया है जिसका चालू हिसाब ग्रेट ब्रिटेनने रखा है और हम हिन्दुस्तानियोंकी तरफ़से कोअी जाँच पड़ताल होने नहीं दी गयी है । असलिअे अस हिसाबकी कोअी आर्थिक ज़िम्मेदारी अुठानेसे पहले यह ज़रूरी होगा कि अेक निष्पक्ष अदालतके द्वारा खुद अस चालू खातकी पूरी तरह जाँच पड़ताल करा ली जाय । यह चालू खाता क्लाअिवके ज़मानेसे शुरू होता है और असकी कभी सार्वजनिक जाँच नहीं हुयी है । असलिअे हमें अुम्मीद है कि हिन्दुस्तानकी आज़ाद राष्ट्रीय सरकार ग्रेट ब्रिटेनसे कोअी मालमता ले या बड़ी नौकरियोंके बारेमें कोअी और ज़िम्मेदारी अुठाना मंज़ूर करे अससे पहले अस चालू खातकी अच्छी तरह छानबीन करनेके लिअे अेक निष्पक्ष न्यायालय मुक्क़रर करेगी । १९३१ की कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीने असी तरहकी निष्पक्ष अदालत मुक्क़रर करनेकी सिफ़ारिश की थी ।

आखिरी तौरपर तय की हुयी हिन्दुस्तानकी बाक़ी रक़म, जो सोना पिछले २० सालमें हिन्दुस्तानसे ले जाया गया है, अस सारेको या असके कुछ हिस्सेको लौटाकर या कुछ हिन्दुस्तानमें जो ब्रिटिश मिल्कियत है अससे चुकायी जा सकती है । बहुतसी सिंचाअीकी योजनाअें भी हैं जो ४५० करोड़ तक पहुँचती हैं । बहुतसी मशीनरी और सामान भी बाहरसे मँगवाना पड़ सकता है । ये चीज़ें भी ग्रेट ब्रिटेन दे सकता है । कुछ भी हो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो कुछ पावना हमें मिले वह हिन्दुस्तानके देहातकी धरोहर समझी जाय ।

अक्सर यह दावा किया जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन बहुत ज्यादा मात्रामें भारी पूँजी देगा, तो असकी पैदावार और निर्यात व्यापारको

बड़ा धक्का लगेगा। यह तभी हो सकता है, जब पूँजी आमदनीमेंसे चुकायी जाय। लेकिन ग्रेट ब्रिटेनके पास क्राफ़ीसे ज्यादा पूँजीकी ऐसी मदें हैं जिन्हें वह हिन्दुस्तानके हक़में तब्दील करा सकता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि ग्रेट ब्रिटेनके खातेमें अमरीकाके बैंकोंकी तिजोरियोंमें सोना पड़ा हुआ है। उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेनमें रेल्वेके प्रिफ़रेन्स शेयरों और डिबेंचरोंकी पूँजी आसानीसे भारत-सरकारके नाम बदलायी जा सकती है। ग्रेट ब्रिटेनके पास लाखों टनके व्यापारी जहाज़ हैं। यह जायदाद भी लेना हिन्दुस्तानको मंज़ूर होगा, क्योंकि उसे अपना व्यापारी जहाज़ोंका अद्योग बढ़ानेकी चिन्ता है। इस तरह अगर ग्रेट ब्रिटेनकी अपना कर्ज़ चुकानेकी तैयारी हो, तो उसमें अतिनी आर्थिक और व्यापारी बुद्धि ज़रूर है कि वह अपने वाजिब कर्ज़ चुकानेके अुपाय निकाल सकता है। किसी कर्ज़दारको यह शोभा नहीं देता कि जब उसे ज़रूरत पड़े तब तो वह अुधार ले ले और फिर बैठकर हिसाब करते वक़्त कठिनाअियोंका रोना रोये।

जैसे और जब यह मिलिक्यत भारत सरकारको मिले, तब पौण्डके कागज़ जो लन्दनमें पड़े हैं वे इस मिलिक्यतकी दोनों तरफ़से मानी हुअी क्रीमत चुकानेके लिअे दिये जा सकते हैं और भारत सरकार या तो इस मिलिक्यतको हिन्दुस्तानियोंके नाम कर दे या खुद अपने पास रख ले और इस तरह लगी हुअी पूँजीसे आमदनी करे। इससे जो रुपया वसूल हो वह शहरोंमें बड़े बड़े कारखाने बनानेमें खर्च न करके देहातका कष्ट निवारण करनेके लिअे सिंचाअीकी योजनाओं, पीनेका पानी मुहैया करने, नहर और जलमार्ग बनाने पर खर्च करना चाहिये। ये और दूसरी ऐसी ही बातें भी, जो समझौतेकी शर्तोंसे पैदा हों, अूपर सुझाअी हुअी निष्पक्ष अदालतके सामने रखी जा सकती हैं।

